मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983408

विक्रय पत्र अंकन 45,85,464/-रूपये का :-

स्टाम्प अंकन 4,53,600/-रूपये का :-

विक्रय भूमि का विवरण- कृषि भूमि रकबई 1.581 एकड़ अर्थात 0.640 हैक्टेयर स्थित ग्राम हूंडा हैडा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद ( उत्तर प्रदेश ) जिसे आगे चलकर विक्रय कृषि भूमि कहा गया है । जो कि विक्रय है उपरोक्त भूमि पर कुल भूमि लगान रसदी 23/-रूपये 25 पैसे सालाना है जो कि कृषि-भूमि है व कृषि

विरेन्द्र पाल सिंह
एडवोकेट
सिविल कोर्ट, गाजियाबाद

क्रम सं. ... रु. ...
स्टाम्प पेपर ... बेचा

09 OCT 2004

Sai Sanjhi Constructions Pvt Ltd F-N. Delhi

क्रेता 45,05,464/-

45,86,007

[illegible] सन् 2004 [illegible] बजे [illegible]

श्री ... [illegible]

पुत्र श्री ... [illegible]

निवासी ... [illegible]

ने यह लेखपत्र [illegible]

आज दिनांक [illegible] 04 ... [illegible]

प्रस्तुत किया।

सब रजिस्ट्रार

[illegible] .10.04

इस लेखपत्र का निष्पादन एवं इसके लिये प्रतिफल

रुपये रु० ... 45,85,464/-

जिसकी से ... [illegible]

पूर्ण/... [illegible] श्रीमती [illegible] देवी [illegible]

पुत्र श्री ... [illegible]

... [illegible]

ने इ केता ... [illegible] देवी [illegible]

श्री ... [illegible]

पुत्र श्री ... [illegible]

निवासी ... [illegible]

ने स्वीकार किया।

19 OCT 2004

0500 983309

स्थित है नाप सिंचित है । आवेदित भू भाग सिन्धु से हटकर 500 मीटर से अधिक दूरी पर है । सामान्य कृषि भूमि का 9,60,000/ रुपये प्रति एकड़ है, जबकि प्रस्ताव इससे अधिक के हिसाब से विक्रय कृषि भूमि की बाजार कीमत उपलब्ध पर नियमानुसार अदा किया गया है जो कि निर्धारित दर से अधिक पर अदा है । बैनामा से नक्शा नजरी संलग्न है ।

विक्रेता

फार्म सं. [illegible] ... [illegible]
स्थान नं. 17 ... [illegible]

19 OCT 2004

रोकड़िया कोषागार गाजियाबाद

निष्पादी पहचान श्री ओमप्रकाश
पुत्र श्री धर्म सिंह
निवासी मौजा जलालपुर तह॰ दादरी
व श्री प्रताप सिंह
पुत्र श्री रामेश्वर दयाल
निवासी [illegible] गोविन्द [illegible] [illegible]
ने की।

सब रजिस्ट्रार प्रथम
19.10.04
गाजियाबाद

[illegible]

INDIA NON JUDICIAL

25000 RUPEES

पच्चीस हजार रुपये

19 OCT 2004

03DD 983410

हम कि श्री जगदीश पुत्र श्री बाबू राम व गौरव व सागर ( दोनों बालिगान ) पुत्रगण स्व श्री सुभाष चन्द व श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व0 श्री सुभाष चन्द बजात खुद व माता हकीकी व संरक्षिका और से अभिषेक नाबालिग पुत्र स्व0 श्री सुभाष चन्द निवासीगण ग्राम ढूंढा हेडा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद व राजेश्वर पुत्र श्री बाबू राम निवासी ग्राम भनेडा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद व श्रीमती गुलाब देवी पत्नी श्री इन्दु भूषण निवासी मकान नम्बर-10 मालीवाड़ा चौक, गाजियाबाद प्रथमपक्ष विक्रेतागण । जिन्हें आगे चलकर विक्रेतागण कहा गया है ।

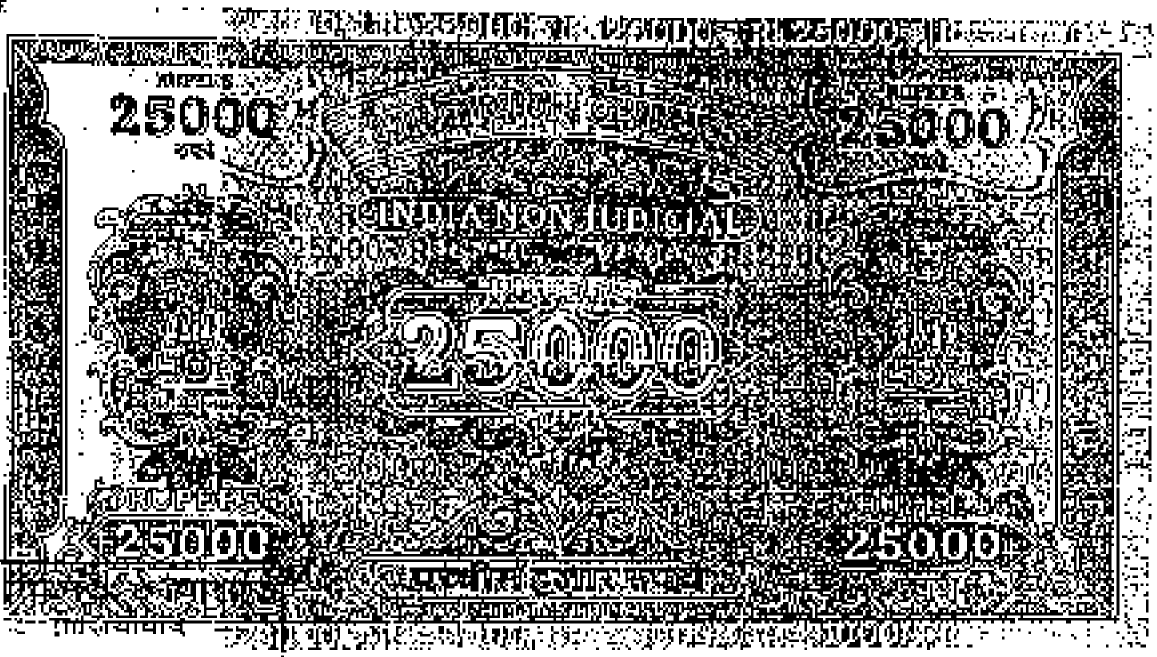


19 OCT 2004

0300 983411

एवं मैसर्स सर्व मॉडर्न कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड, डी-47 कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001, द्वारा श्री धनानन्द वशिष्ठ पुत्र श्री एकराम वशिष्ठ अथोराईज्ड सिगनेट्री कम्पनी उक्त द्वितीयपक्ष क्रेता। जिन्हें आगे चलकर क्रेता कहा गया है।

इस लेखपत्र में विक्रेतागण व क्रेता-कम्पनी के समस्त उत्तराधिकारी एवं वैधानिक व न्यायिक प्रतिनिधिगण आदि सम्मिलित समझे जावेंगे।

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

03OD 983412

विक्रित की गई कृषि भूमि रकबाई 1.581 एकड़ अर्थात 0.640 हैक्टेयर

सम्बन्धित खाता खतौनी नम्बर-1657 खसरा नम्बर-1037/1 रकबाई

4-5-17 पुख्ता अर्थात 0.884 हैक्टेयर, लगानी 28/ रुपये 75 पैसे

सालाना का 1/2 भाग रकबाई 0.442 हैक्टेयर खाता खतौनी नम्बर 1497

खसरा नम्बर-1036/4 मि0 रकबाई 0-3-5 पुख्ता अर्थात 0.042 हैक्टेयर,

लगानी 50 पैसे सालाना का 1/4 भाग रकबाई 0.0105 हैक्टेयर व

खाता खतौनी नम्बर-1656 खसरा नम्बर-1038/2 रकबाई 7-19-6 पुख्ता

25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

03DD 983413

रकबई 0.750 हेक्टेयर, लगानी 16/ रुपये 20 पैसे मालगुजारी का 1/4 भाग रकबई 0.1875 हेक्टेयर इस प्रकार कुल भूमि रकबई 0.640 हेक्टेयर स्थित ग्राम कुंडा ईदा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद ( उत्तर प्रदेश ) के क्रमशः विक्रेतागण मालिक काबिज व संक्रमणीय भूमिधर व स्वामी है । उक्त वर्णित विक्रय भूमि को विक्रेता जगदीश, राजकुमार, श्रीमती गुलाब देवी ने श्री सुभाष चन्द के साथ मिलकर उनके जीवनकाल मे विक्रय पत्र दिनांक 08-04-2002 को जिसको पंजीकृत बही नम्बर-1 जिल्द 5051 के पृष्ठ 173/177 में

RUPEES 25000

पच्चीस हजार रुपये

19 OCT 2014

B300 983414

क्रमांक 1250 पर दिनांक 08.01.2004 को कार्यालय सब रजिस्ट्रार प्रथम

गाजियाबाद में दर्ज शुदा हुई है, जारी किया । श्री सुभाष चन्द स्वर्गी

[illegible] हो चुके । स्व0 श्री सुभाष चन्द के मरने के पश्चात कागजात में

[illegible] पुत्रगण व श्रीमती निर्मला देवी पत्नी व जायज

उत्तराधिकारी एवं वारिस है । इनके अलावा स्व0 श्री सुभाष चन्द का

अन्य कोई उत्तराधिकारी एवं वारिस नहीं है । उक्त वर्णित विक्रय भूमि

क्षेत्रफल 0.640 हेक्टेयर आज दिन तक विक्रेतागण की ओर से हर

विजेन्द्र पाल

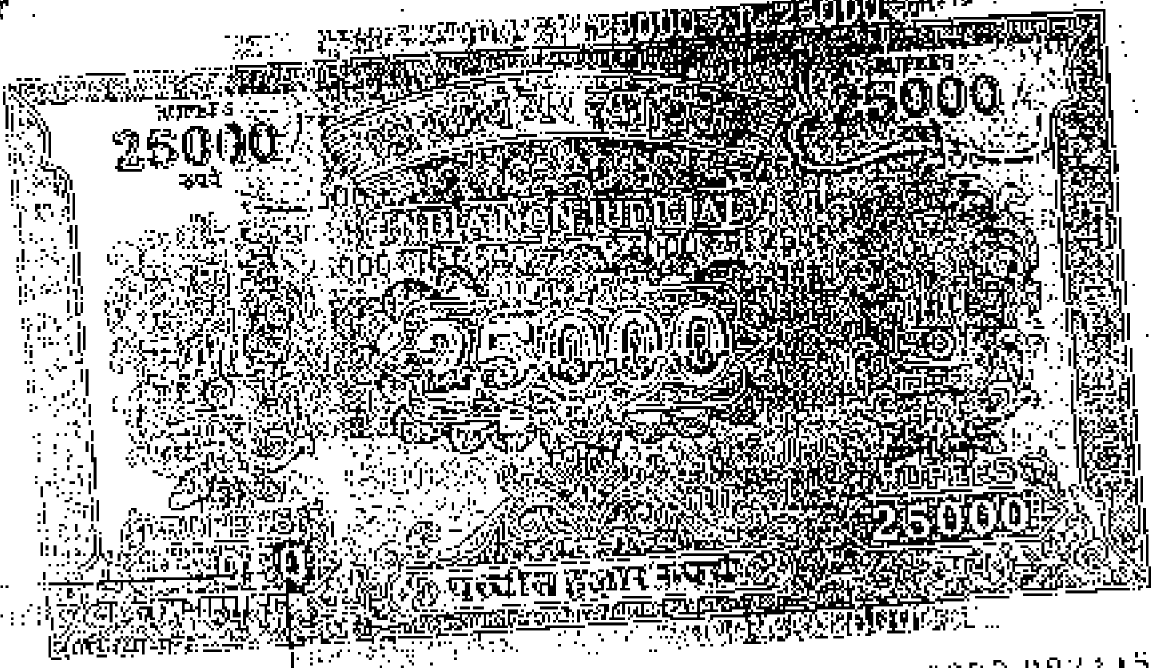


19 OCT 2004

03DD 983415

[illegible] के बंधक भार सरकारी बकाया व अन्य लोन आदि आदि से मुक्त है, कहीं अन्य जगह अनुबंध, रहन, बय, हिबे, महाजनान आदि आदि से बाधा नहीं है। मिलकियत विक्रयपत्र में किसी प्रकार का कोई दोष व त्रुटि नहीं है, हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है। हम [illegible] [illegible], अजमेर, [illegible] व संबंध में श्रीमती [illegible] देवी [illegible] व मुझ श्रीमती निर्मला देवी को स्वयं व अपने नाबालिग पुत्र अभिलाष की ओर से वसीयत सहित श्री. [illegible] हकों को

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

25000

पच्चीस हजार रुपये

19 06 2004

03OD 983436

को हस्तान्तरण व विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है । ऐसे हम मकान का अपने नाबालिग पुत्र के हितों को दृष्टिगत रखते हुये निस्तारण किया गया है । अतः हम विक्रेतागण ने अपनी खुशी व रजामन्दी शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों के साथ बिना किसी डर दबाव व बहकावे के प्रभावित होते हुये मये तमाम हक हकूक मालिकान दाखिले खारिजे हर किस्म मय कब्जा आदि आदि को मय हक कागज व स्टाम्प शुल्क सभी

RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

19 OCT 2004

03DD 983417

अभिग्रहण सहित ब्याज की राशि में मब्लग अंकन 45,85,464/ रुपये ( पैंतालिस लाख पिचासी हजार चार सौ चौंसठ रुपये ) अथवा जिसका अंकन 22,92,732/-रुपये ( बाईस लाख बानवे हजार सात सौ बत्तीस रुपया ) होता है, में तहत विक्रयपत्र क्रेता उपरोक्त को विक्रय कर दिया है और बेच दिया है तथा कुल विक्रय धनराशि 45,85,464/ रुपये की पचास प्रतिशत धनराशि अंकन 22,92,732/-रुपये मुबलिग बैनामा

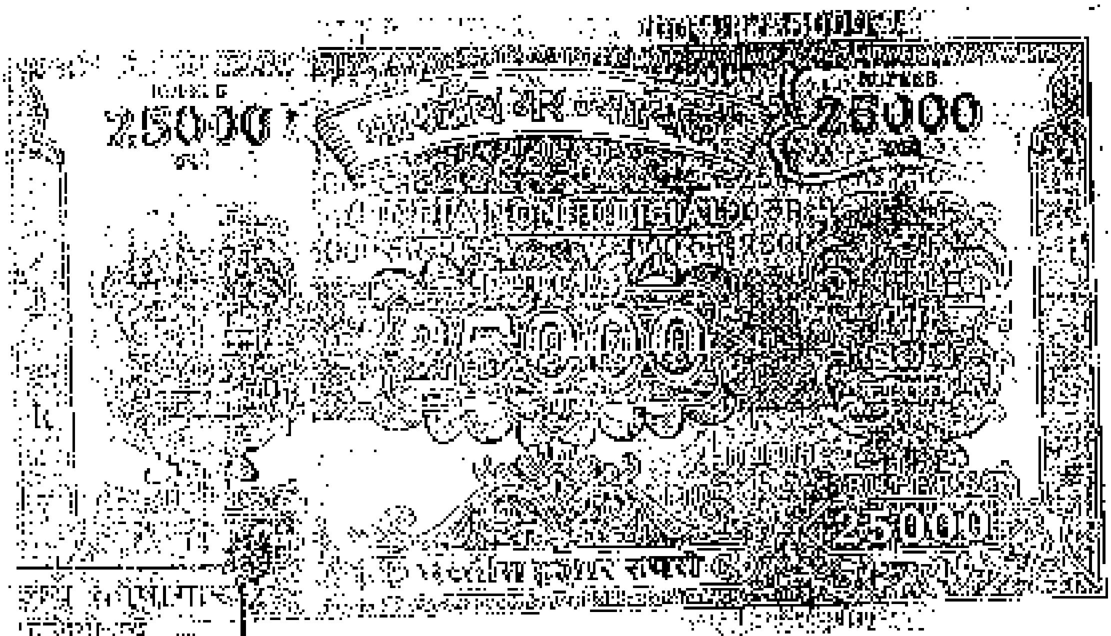


[illegible] गयी है जिसका विवरण यह

[illegible]

| [illegible] | [illegible] | दिनांक |
|---|---|---|
| [illegible] | 043130 | 18-10-2004 |
| [illegible] | 043131 | 18-10-2004 |
| 1,43,[illegible] रुपये | 043132 | 18-10-2004 |
| 1,43,2967.99 | 043133 | 18-10-2004 |

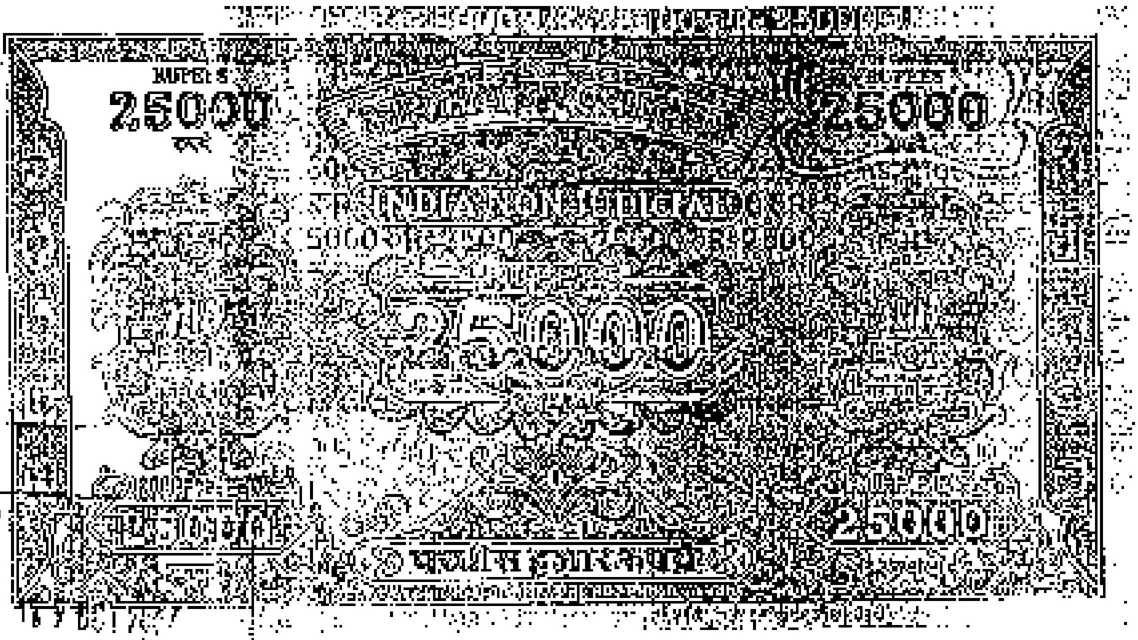


0300 953419

| | | |
|---|---|---|
| 1,43,296/-रुपये | 043134 | 10 10 2004 |
| 1,43,296/-रुपये | 043135 | 18-10-2004 |
| 5,73,183/ रुपये | 043136 | 18-10 2004 |

समस्त मालों बैंक ड्राफ्ट पी0 एन0 बी0, कनाट प्लेस, नई दिल्ली के हैं, तत्काल भुगतान की प्रत्याशा में और निम्नवत एक्चांस प्रतिशत

धनराशि अंकन 11,46,360/-रुपये बैनामा निष्पादन की तिथि से तीन

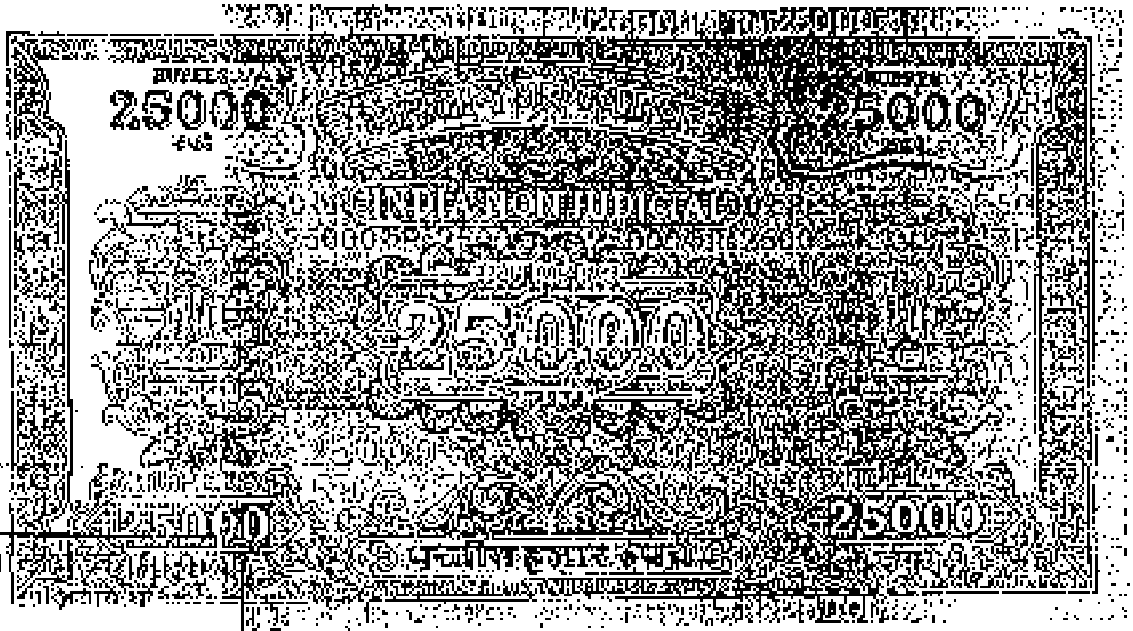


03C0 983420

मैंने उपरोक्त में निम्नांकित केवल 1 रूपया नकद व शेष धनराशि निम्नांकित चार चैकों द्वारा प्राप्त कर ली है ।

| धनराशि | चैक नम्बर | दिनांक |
|---|---|---|
| 2,86,591/ रूपये | 477750 | 19-01-2005 |
| 2,86,591/ रूपये | 477751 | 19-01-2005 |
| 71,648/-रूपये | 477752 | 19-01-2005 |
| 71,640/-रूपये | 477753 | 19-01-2005 |

INDIA NON JUDICIAL

25000

03DD 983421

19 OCT 2004

| | | |
|---|---|---|
| 71,648/-रुपये | 477754 | 19-01-2005 |
| 71,648/-रुपये | 477755 | 19-01-2005 |
| 2,86,991/-रुपये | 477756 | 19-01-2005 |

समस्त सातों चैक्स पी0 एन0 बी0, कनाट प्लेस, नई दिल्ली के हैं,

और मालियत की शेष कुल पच्चीस प्रतिशत धनराशि केवल

11,46,366/ रुपये का भुगतान इस बैनामा निष्पादन के दिनांक से छः

माह उपरान्त के दिनांकित निम्नांकित सात ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त किया

INDIA NON JUDICIAL

25000

0300 983422

19 OCT 2004

| धनराशि | चैक नम्बर | दिनांक |
|---|---|---|
| 2,86,591/- रुपये | 477757 | 19-04-2015 |
| 1,86,591/- रुपये | 477758 | 19-04-2005 |
| 71,648/- रुपये | 477759 | 19-04-2005 |
| 71,648/- रुपये | 477760 | 19-04-2005 |
| 71,648/- रुपये | [illegible] | 19-04-2005 |

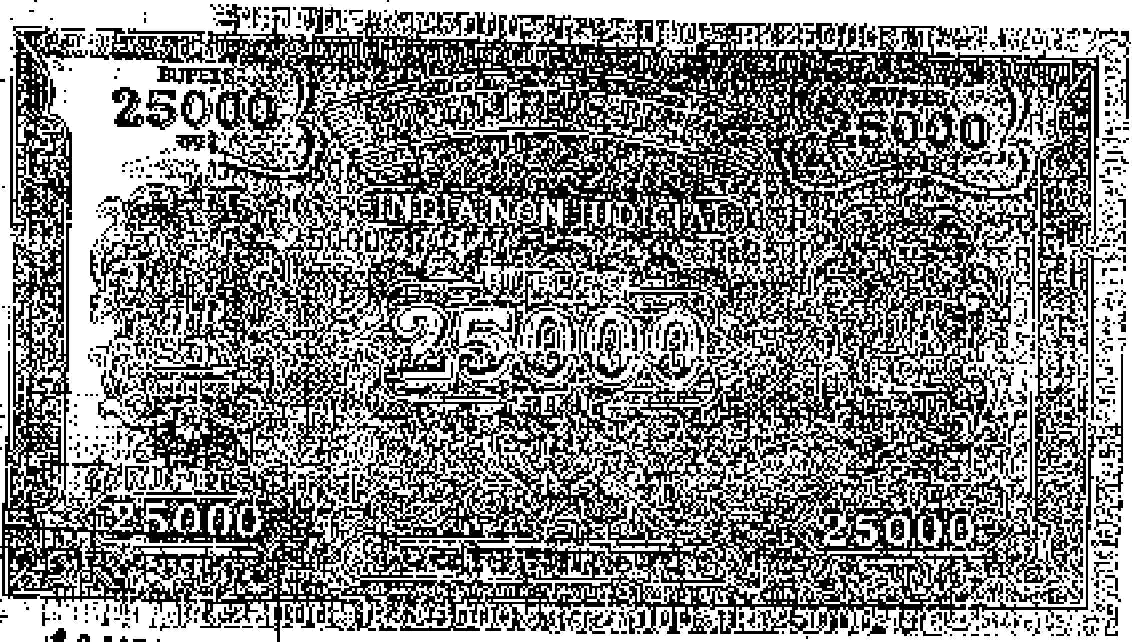


19 OCT 2004

0300 983423

| | | |
|---|---|---|
| 71,418/-रुपये | 477762 | 19-04-2005 |
| 2,86,501/ रुपये | 477763 | 19-04-2005 |

समस्त सातों चैक्स पी0 एन0 बी0, कनाट प्लेस, नई दिल्ली के है,

विक्रय भूमि कृषि भूमि है तथा कृषि हेतु क्रय है, दो फसली है सिंचाई

का साधन बगाबर के खेत में नलकूप से है । इस समय विक्रय कृषि

26

INDIA NON JUDICIAL

25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

0300 983445

भूमि में कोई फसल नहीं बोई हुई है, भूमि मौके पर खाली है अंतिम रूप में भुगतान होने पर कब्जा प्राप्त करने के बाद क्रेता को सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त कृषि भूमि को विक्रय आदि करे, गिरवी करने का अनुबन्ध करे, इस दस्तावेज के आधार पर अपना नाम सरकारी, गैर सरकारी व अन्य आवश्यक कागजातों व विभागों आदि में दर्ज कराये, नामान्तरण करे, व अन्य कोई कार्यवाही करे, अर्थात जिस प्रकार चाहे अपने मालिकाना हकूक में लाकर लाभ उठाये। हम विक्रेतागण या हमारे वारिसान का विक्रय भूमि से कोई मालिकाना वास्ता या सम्बंध बाकी नहीं रहेगा। शर्त है कि यदि विक्रेतागण के स्वत्वाधिकार से या

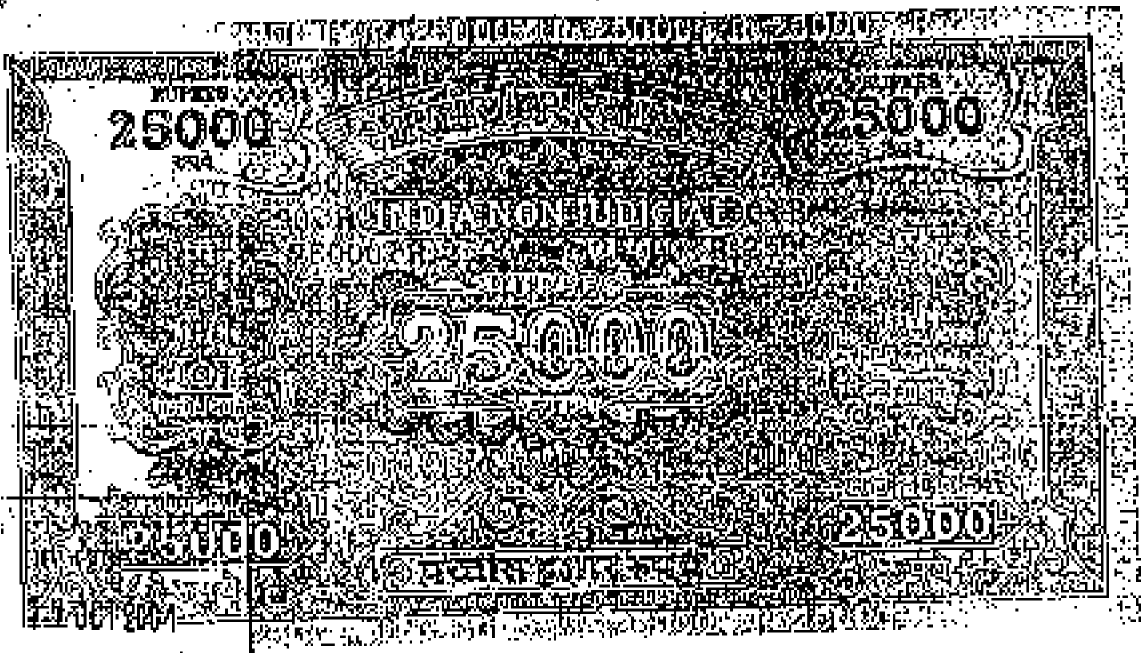


03DD 983446

किसी कानूनी जुर्म या कानून के कारण उक्त कृषि भूमि का कुल या कुछ भाग क्रेता क्रेतागण के कब्जा व दखल मालिकाना से निकल जायेगा तो क्रेता को अधिकार होगा कि वह कब्जे से निकल जाने वाली कृषि भूमि की समस्त धनराशि मय ब्याज व खर्च खर्चे आदि को विक्रेतागण व विक्रेतागण के वारिसान की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूली करले । कोई आपत्ति नहीं होगी । यदि बैनामा की तिथि व अंतिम "चैक के भुगतान के बीच समय में यदि किसी सरकारी संस्था द्वारा भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाता है तो दस्तावेज विक्रेतागण क्रेता प्रभावित नहीं होगा तथा समस्त जिम्मेदारी विक्रेतागण की होगी चैक का भुगतान क्रेता द्वारा नहीं रोका जायगा

15149+3 5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

19 OCT 2014

156885

[illegible] प्राप्त करने का अधिकार क्रेता का होगा । उक्त भूमि

पर [illegible] [illegible] बंधक अथवा [illegible] नहीं है । विक्रेतागण

[illegible] या [illegible] के अधीन भी नहीं है । भूमि [illegible] कोई

[illegible] पंजीकृत नहीं है । उपरोक्त भूमि [illegible] का मुताबिक

[illegible] पश्चात विक्रेतागण क्रेता भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लेगा । [illegible]

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

1000 रु. Rs 1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

399028

पूर्ण भूमि पर प्रथमपक्ष का ही कब्जा बना रहेगा । अथवा चैकों की भुगतान होने तक द्वितीयपक्ष क्रेता बैनामा होने पर अपने हक में अमल दरामद नहीं करायेगा । अगर अमल दरामद कराता है तो प्रथमपक्ष विक्रेतागण को पूर्ण अधिकार होगा कि वह आपत्ति देकर अमल दरामद रुकवा दे । इसमें द्वितीयपक्ष क्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी, बल्कि सहमति समझी जायेगी । चैकों के भुगतान के लिये निर्धारित अंकित तिथि से एक सप्ताह की अवधि के अन्दर प्रथमपक्ष विक्रेतागण द्वारा बैंक के नियमानुसार चैकों को भुगतान प्रस्तुत न करके भुगतान प्राप्त

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

Rs 1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

[illegible] में भी उसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रथमपक्ष विक्रेतागण की होगी । इस प्रकार की स्थिति आने पर द्वितीयपक्ष क्रेता अंतिम नकद की [illegible] के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के तत्काल बाद उसके पूर्ण का [illegible] । उक्त चेकों के भुगतान के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के एक सप्ताह के अन्दर प्रथमपक्ष विक्रेतागण का बैंक में बैंक के नियमानुसार चेक प्रस्तुत करने के उपरान्त भुगतान प्राप्त नहीं होता है अथवा चैक किसी भी कारणवश अनादृत हो जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रथमपक्ष विक्रेतागण द्वितीयपक्ष क्रेता को चैक आदृत कराने के लिये एक सप्ताह का अवसर देगा । यदि द्वितीयपक्ष क्रेता एक सप्ताह में भुगतान नहीं कराता है तो दोनों पक्षों के मध्य निष्पादित यह इकरारनामा

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

1000 रु.  Rs.1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

399030

यह रकम कायम तथा द्वितीय पक्ष बैंक द्वारा प्रथमपक्ष निष्कासन को

संभार का समय दी गई 50 प्रतिशत अथवा प्रथमपक्ष निष्कासन को

प्राप्त [illegible] [illegible] [illegible] की जायेगी ।

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.

Rs 500

FIVE HUNDRED RUPEES

1 -2004

50 Rs.

पचास रुपये

INDIA

पचास 50 Rs.

FIFTY RUPEES

न्याय आवे । यह बैनामा विक्रेतागण के पिछले कागजात व विक्रेतागण व क्रेता के बताये अनुसार लिखा गया है ।

कृषि भूमि प्लान खसरा नं० 1036/4, 1037/1 व 1038/2 स्थित ग्राम डूंडाहेड़ा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद (उ०प्र०)

विक्रय रकबा = 175.87 वर्ग मी० = 0.01758 हे०

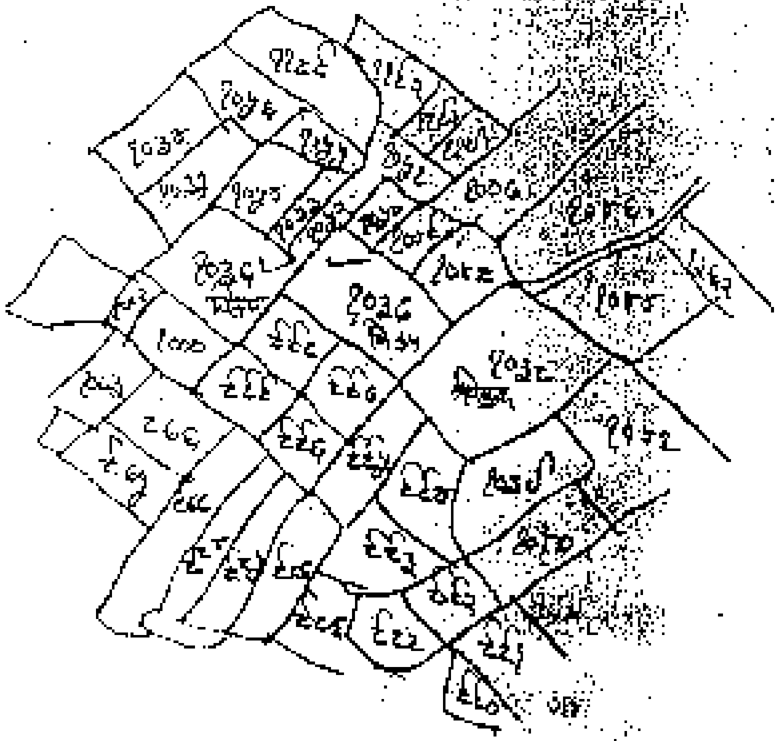

कृषि भूमि प्लान

MANOJ SHARMA
Architects, Engineers, Valuers
Int. Designers ... Reg. No. 54
ARCHITECTURE COMBINE
CH. NO. 85, TEHSIL COMP. GZB.
PH: R-2786133, M-9811504859

क० पक्षी ख० पक्षी

Based on data supplied by owner

50 Rs.

FIFTY RUPEES

हस्ताक्षर विक्रेतागण

हस्ताक्षर क्रेता

गवाह नं० 1

गवाह नं० 2

दिनांक 19.10.2004 मसौदा वीरेन्द्र पाल सिंह एडवोकेट चेम्बर नम्बर 56, न्यू कोर्ट कम्पाउन्ड गाजियाबाद।

वीरेन्द्र पाल सिंह
एडवोकेट
सिविल कोर्ट, गाजियाबाद

क्रम संख्या 71 स्टाम्प विक्रय की तिथि 19 OCT 2004

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता

स्टाम्प की धनराशि 50/-

**संजय कुमार स्टाम्प विक्रेता**

लाइसेंस नं०-33

लाइसेंस की नवीनीकरण की अवधि 31-3

अधिकृत विक्रय करने का स्थान चैम्बर नं० 24

तहसील कम्पाउण्ड, गाजियाबाद

बही नं० I जिल्द नं० ... 5130

को आज दिनांक 19/10/04

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

04DD 421159

विक्रय पत्र अंकन 91,85,404 / — रूपये

स्टाम्प अंकन 9,19,000 / — रूपये

विक्रय भूमि का विवरण : कृषि भूमि खाता नं0 1497 खसरा नं0 1036 / 4 रकबई 0.01050 हेक्टेयर व खाता नं0 1656 खसरा नं0 1038 / 2 रकबई 0.18750 हेक्टेयर व खाता नं0 1657 खसरा नं0 1037 / 1 रकबई 0.44200 हेक्टेयर कुल

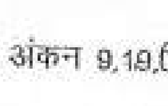

Advocate

GHAZIABAD

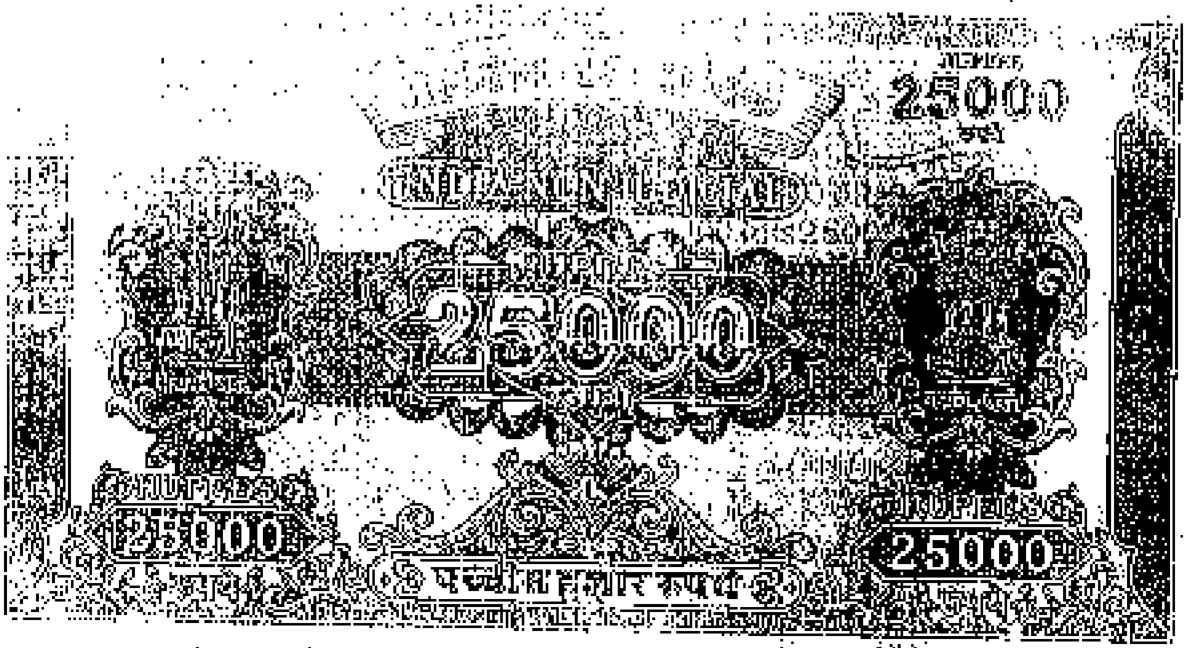


04DD 421159

विक्रय पत्र अंकन 91,85,464/- रूपये

स्टाम्प अंकन 9,18,600/-- रूपये

विक्रय भूमि का विवरण : कृषि भूमि खाता नं0 1497 खसरा नं0 1036/4 रकबई 0.01050 हेक्टेयर व खाता नं0 1658 खसरा नं0 1036/2 रकबई 0.18750 हेक्टेयर व खाता नं0 1657 खसरा नं0 1037/1 रकबई 0.44200 हेक्टेयर कुल

Advocate
GHAZIABAD

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

पच्चीस हजार रुपये

04DD 421158

2

खसरा नम्बरान तीन कुल रकबाई 0.64000 हेक्टेयर विक्रेता का सम्पूर्ण भाग

स्थित ग्राम डूंडा हेड़ा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद (उ0प्र0)

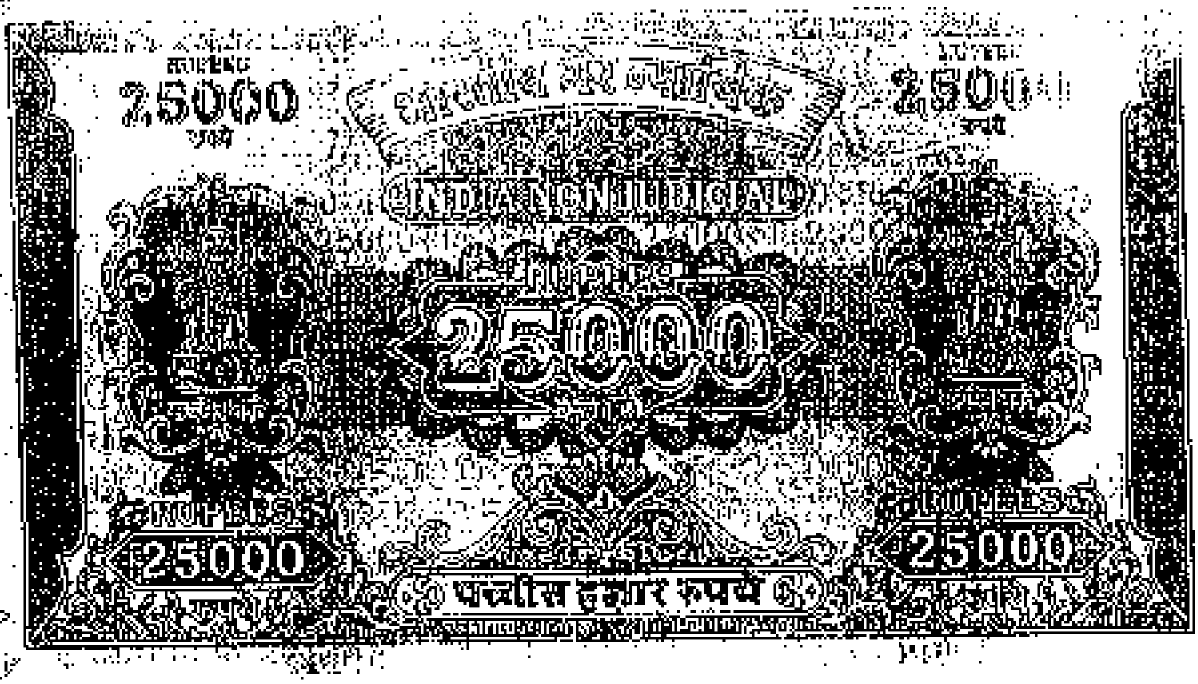


0405 124157



जिसे आगे विक्रय कृषि भूमि कहा गया है। जो कि विक्रय है। जो कि कृषि भूमि

INDIA NON JUDICIAL

Rupees 25000 रुपये

25000

25000 पच्चीस हजार रुपये 25000

14 JUN 2005

01DD 421133

5

एकड़ है। जब कि स्टाम्प ड्यूटी अधिक के हिसाब से विक्रय कृषि भूमि की बनी

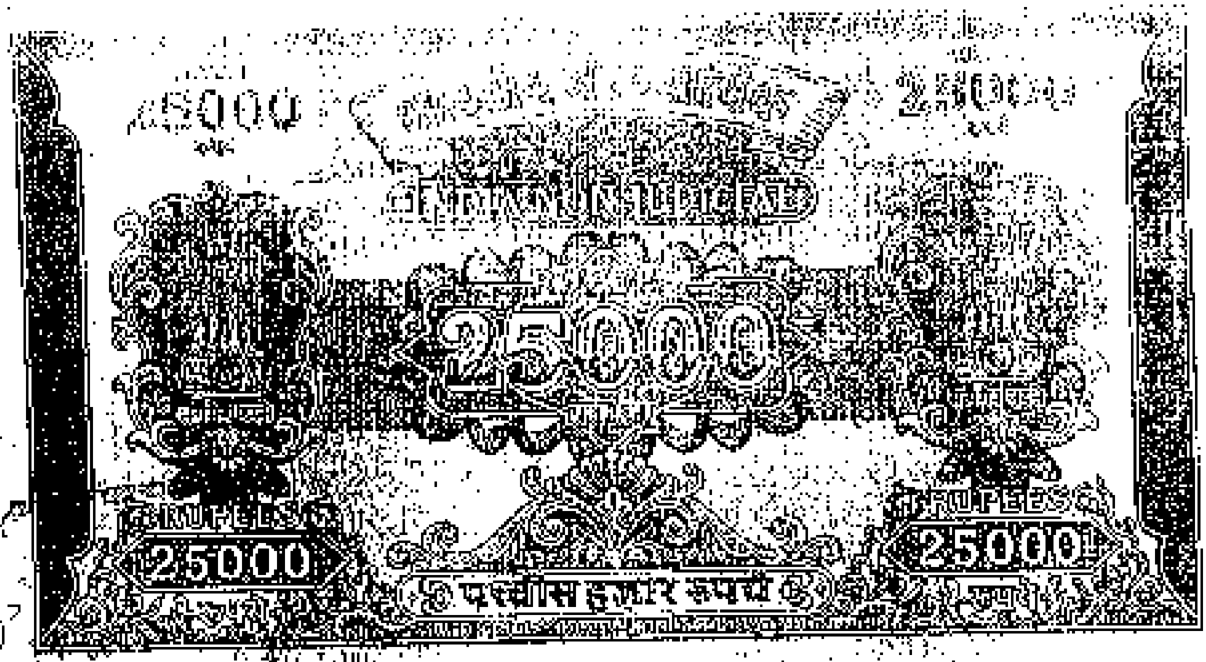


0430 421156



है व कृषि हेतू क्रेता को विक्रय है। मेन रोड के मध्य बिन्दू से हटकर 500 मीटर से अधिक दूरी पर है। सरकारी कृषि भूमि की दर 9,60,000/- रूपये प्रति

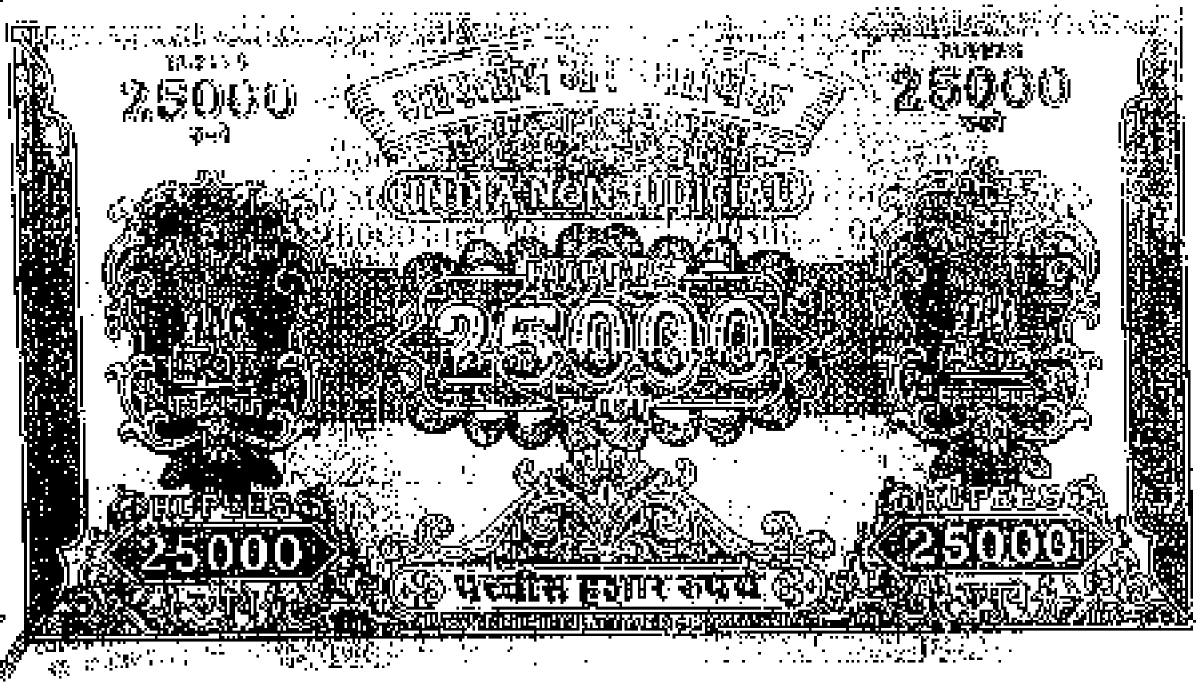


04DD 121154

6

कीमत उपरोक्त एवं नियमानुसार अदा किया गया है जो कि निर्धारित दर से

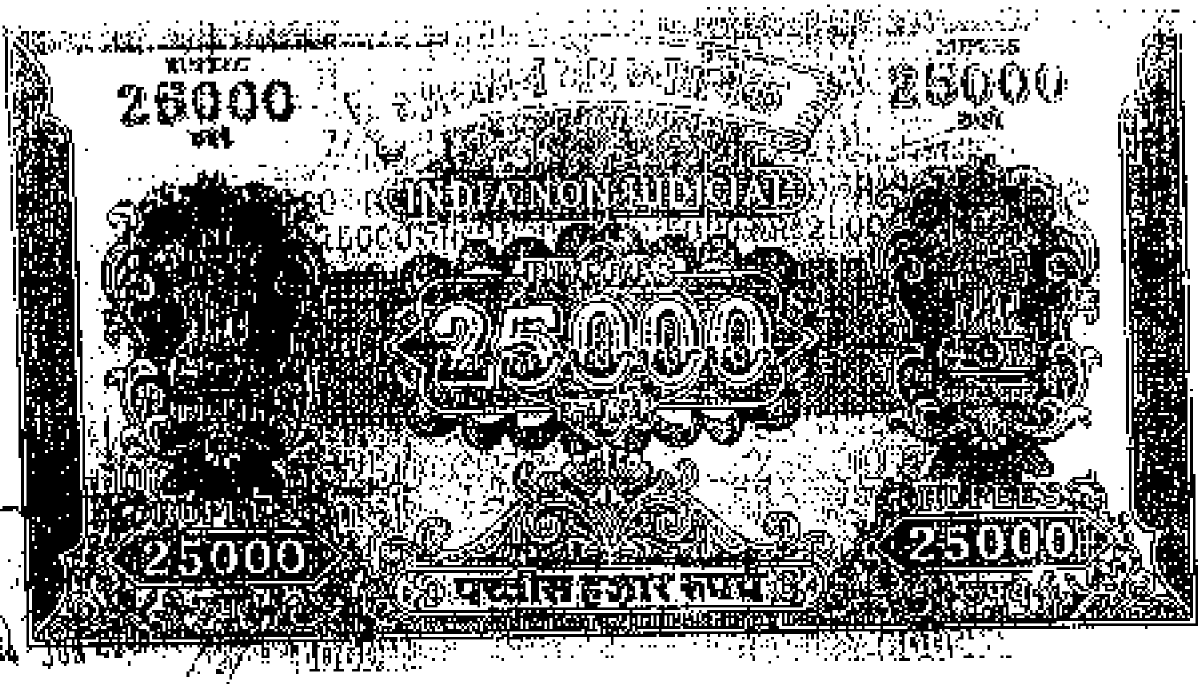


84OD 421153

7

अधिक धर अदा है, बैनामा में नक्शा नजरी संलग्न है।

हम कि श्री ईश्वर सिंह पुत्र श्री हरबन्श सिंह निवासी -- मोहल्ला सराय सांई कोट

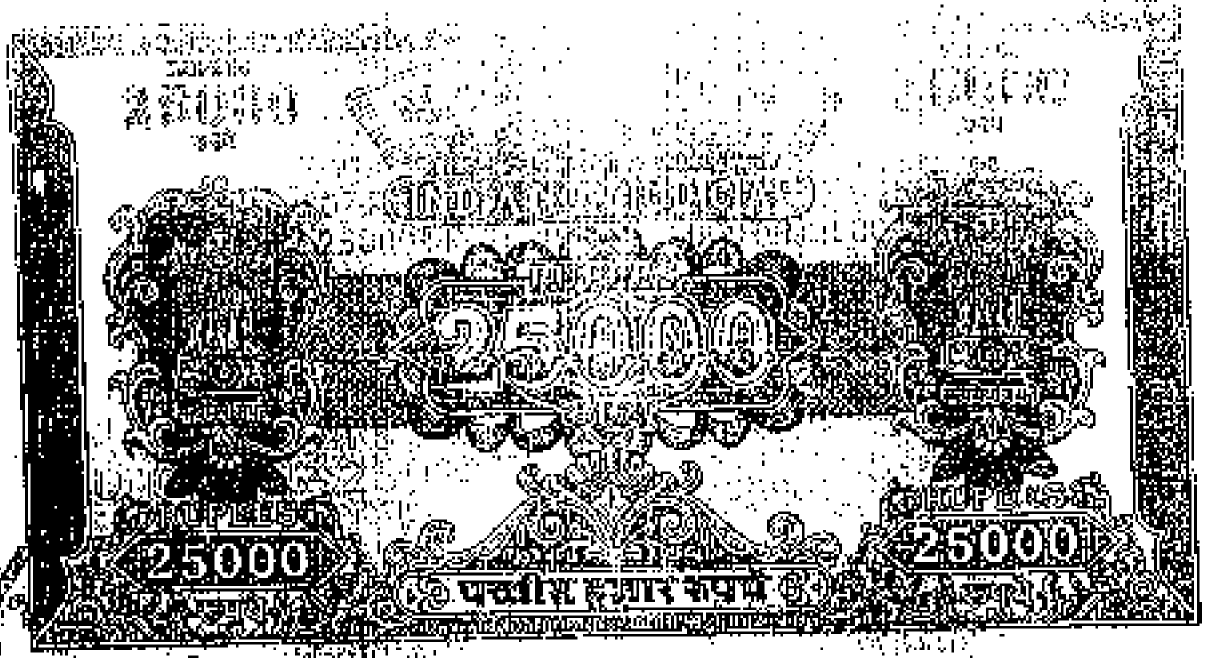


14 JUN 2025

6

गांव तहसील व जिला गाजियाबाद प्रथम पक्ष। विक्रेता जिन्हें आगे चलकर

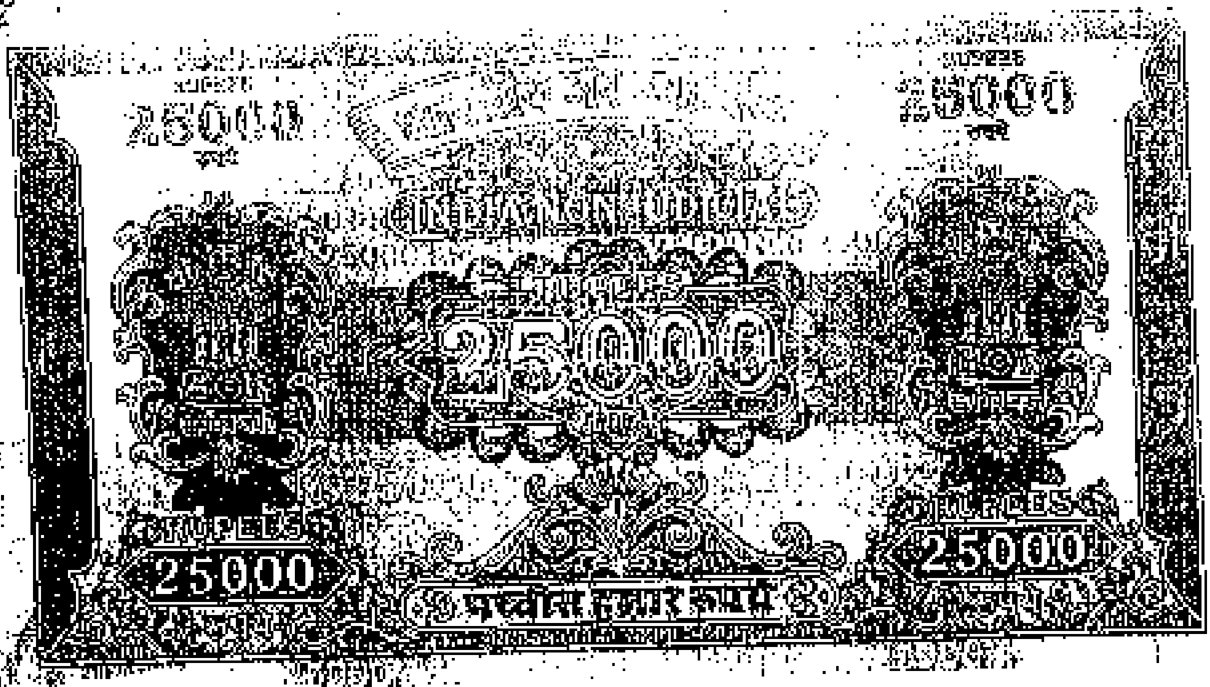


04DD 421151

9

विक्रेता कहा गया है।

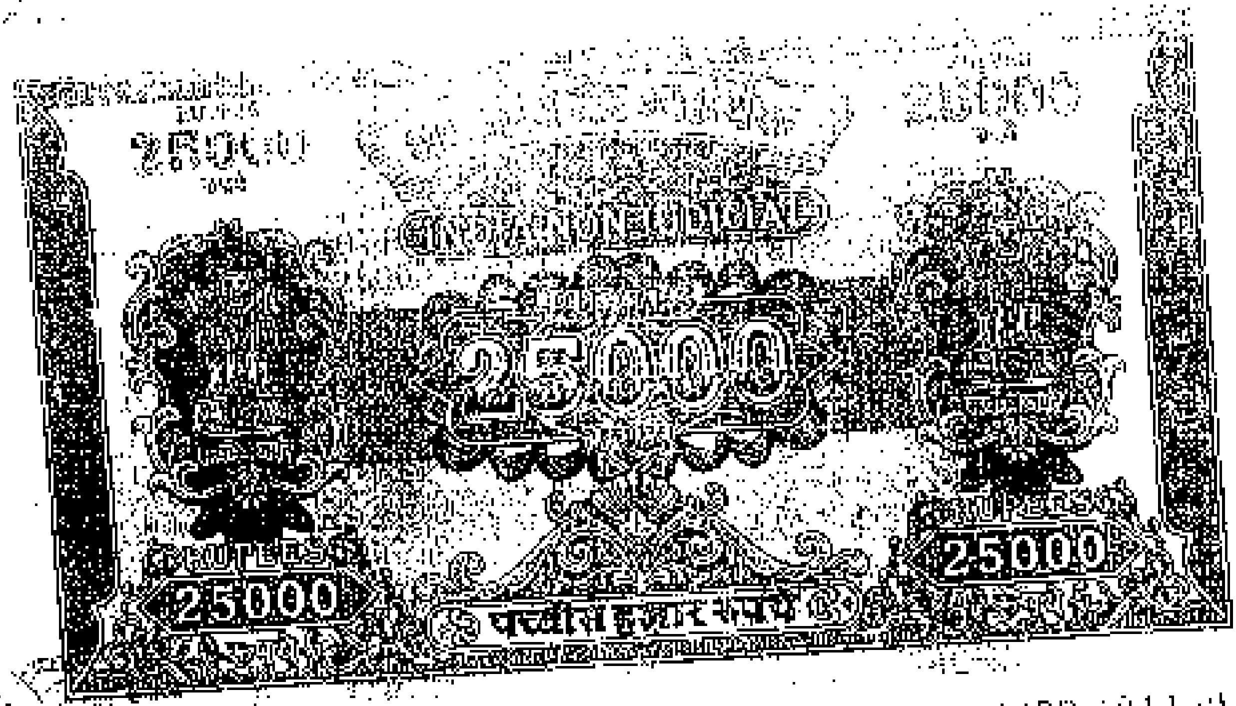




एवं

मैसर्स वृद्धि प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड बी–47 कनॉट प्लेस , नई दिल्ली

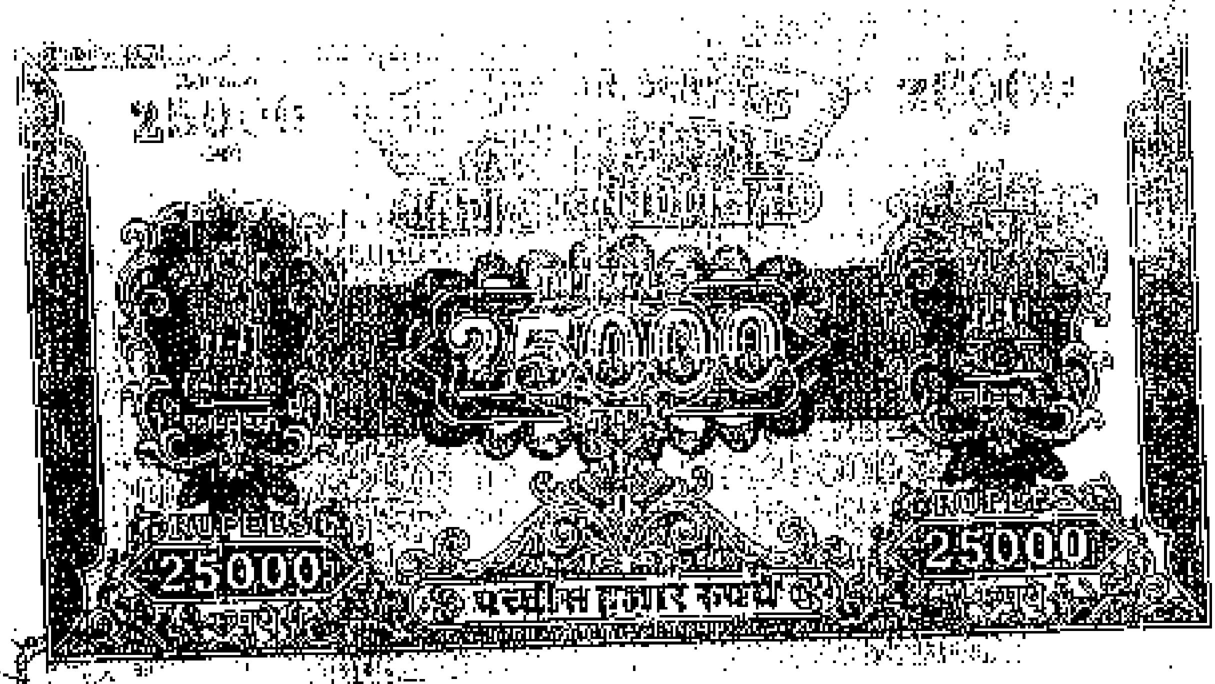


04DD 421118

14 JUN 2005

12

चलकर फ़ेरों कहा गया है।

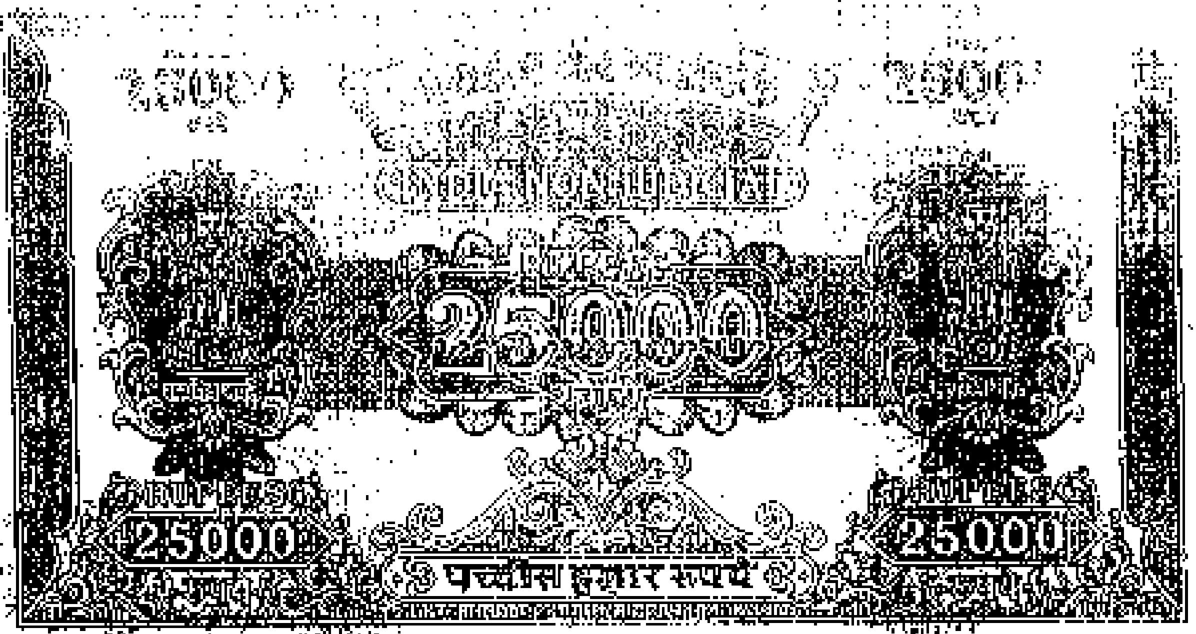


JUN 2005

04CD 123549

11

--110001 द्वारा श्री गीताराम त्यागी पुत्र श्री दाताराम त्यागी (सीनियर मैनेजर)

निवासी— केoएलo 57 कविनगर गाजियाबाद। द्वितीय पक्ष कहा। जिन्हे आगे

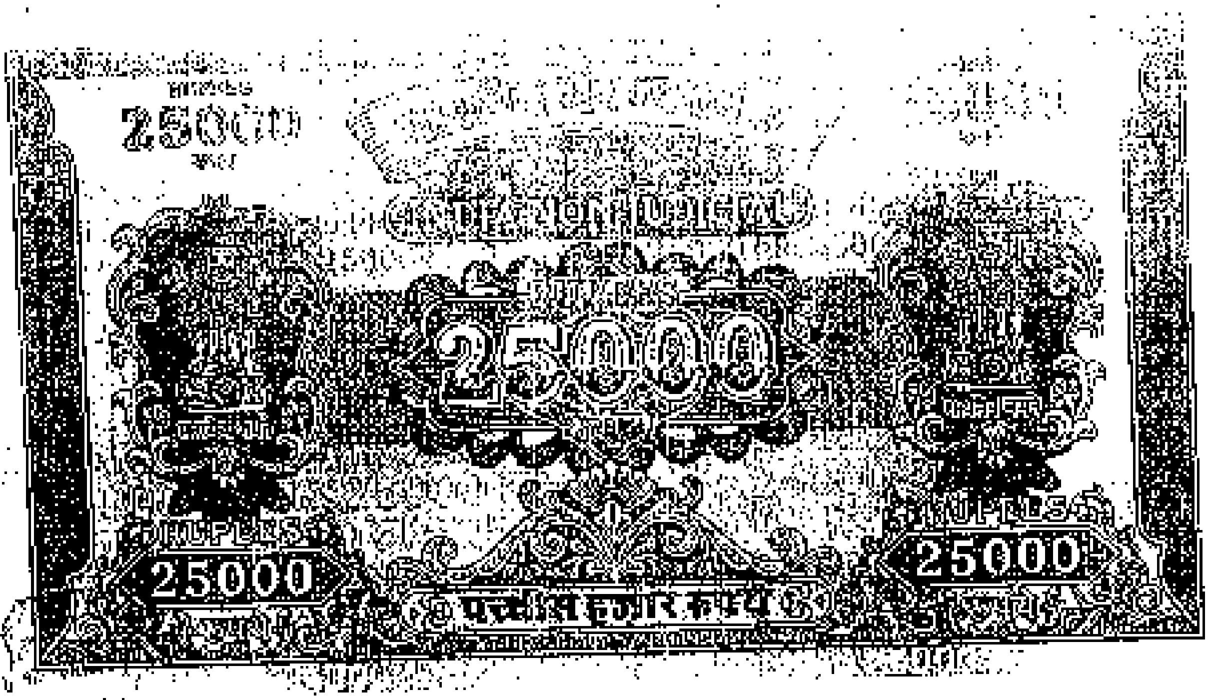


14 JUN 2005

0400 421147

13

इस बैनामे में विक्रेता व क्रेता, कम्पनी के समस्त उत्तराधिकारी एवं वैधानिक प

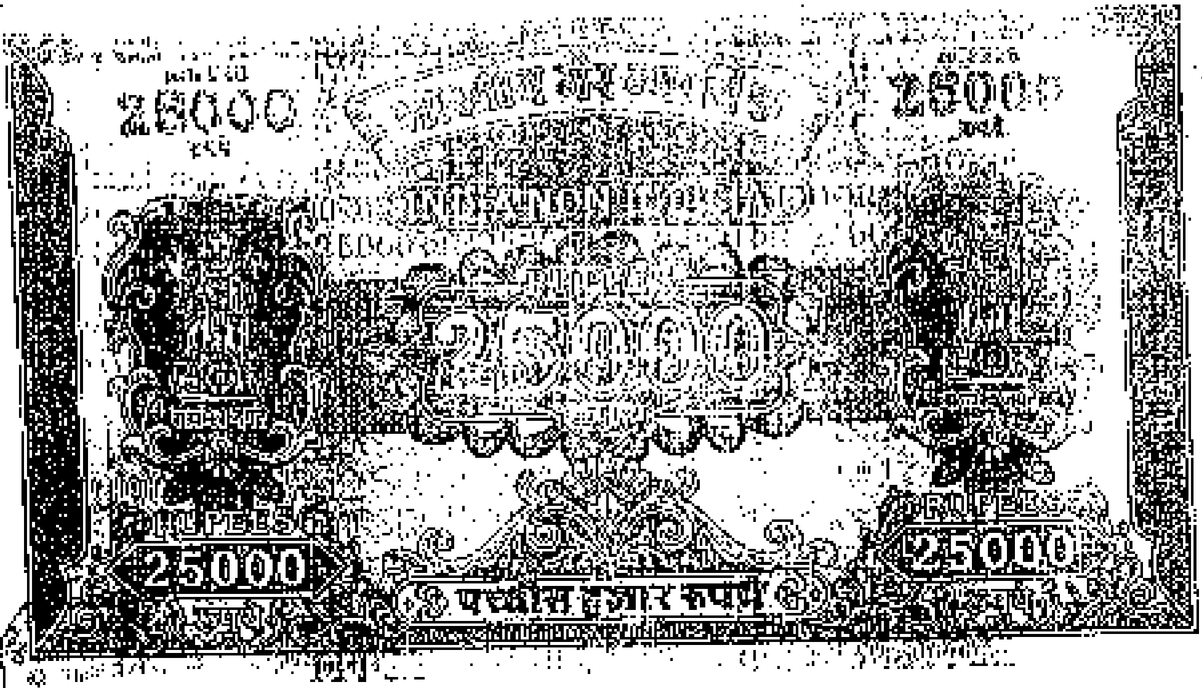


049E 421146

14 JAN

41

न्यायिक प्रतिनिधिगण आदि सम्मिलित समझे जायेंगे।

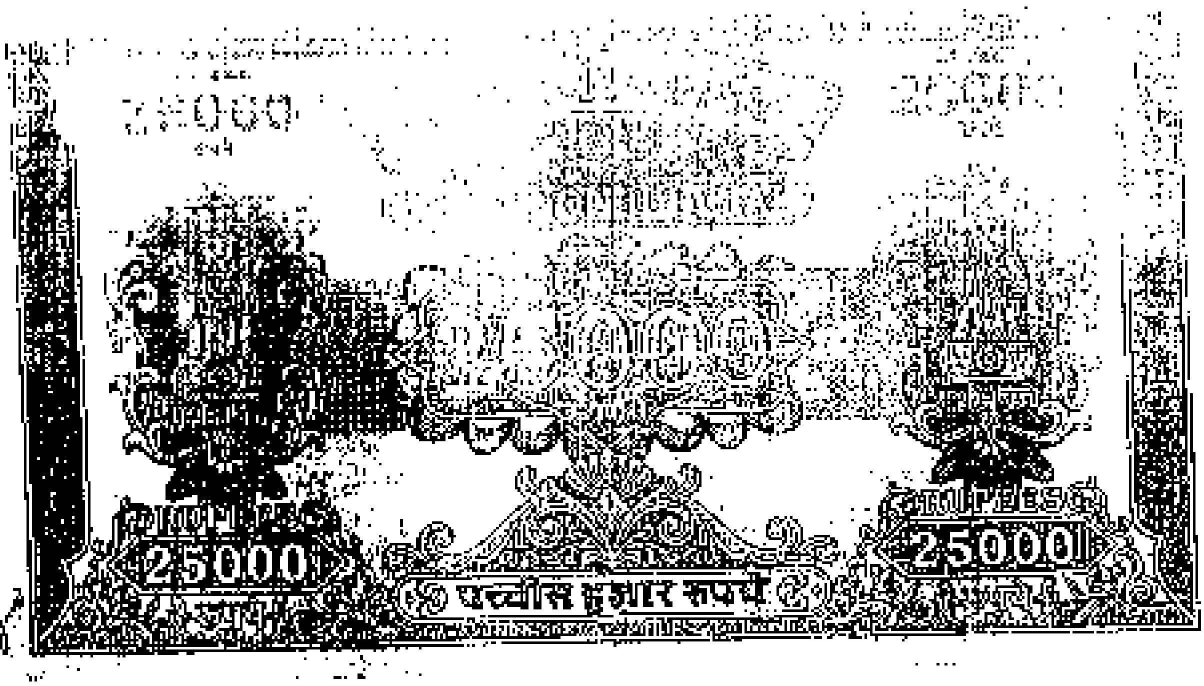


01DD 431153

16

गाजियाबाद में कृषि भूमि खाता सं0 1497 खसरा नं0 1036/4 रकबई 0.1050

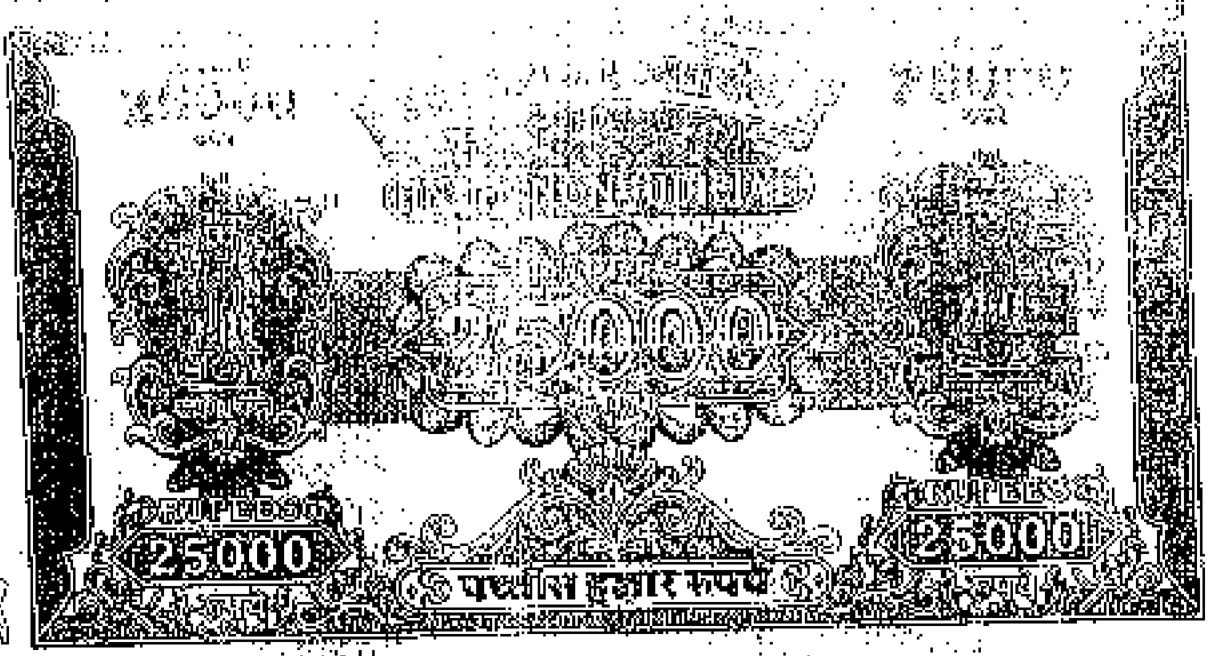


14 JUN 2005

0100 421184

15

विदित हो कि मैं विक्रेता ग्राम सूण्डहेड़ा परगना लोनी तहसील व जिला

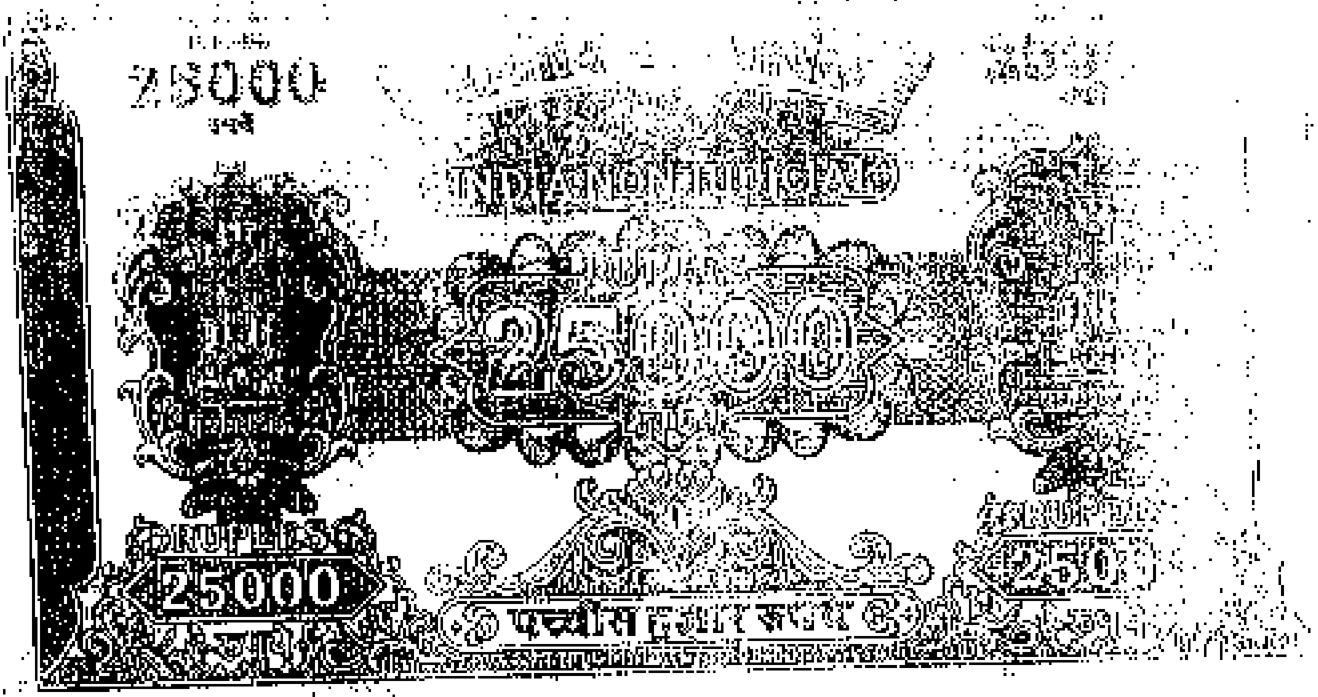


17

हेक्टेयर व खाता नं0 1656 खसरा नं0 1036 / 2 रकबई 0.18780 हेक्टेयर व

खाता नं0 1657 खसरा नं0 1037 / 1 रकबई 0.41200 हेक्टेयर कुल रकबा

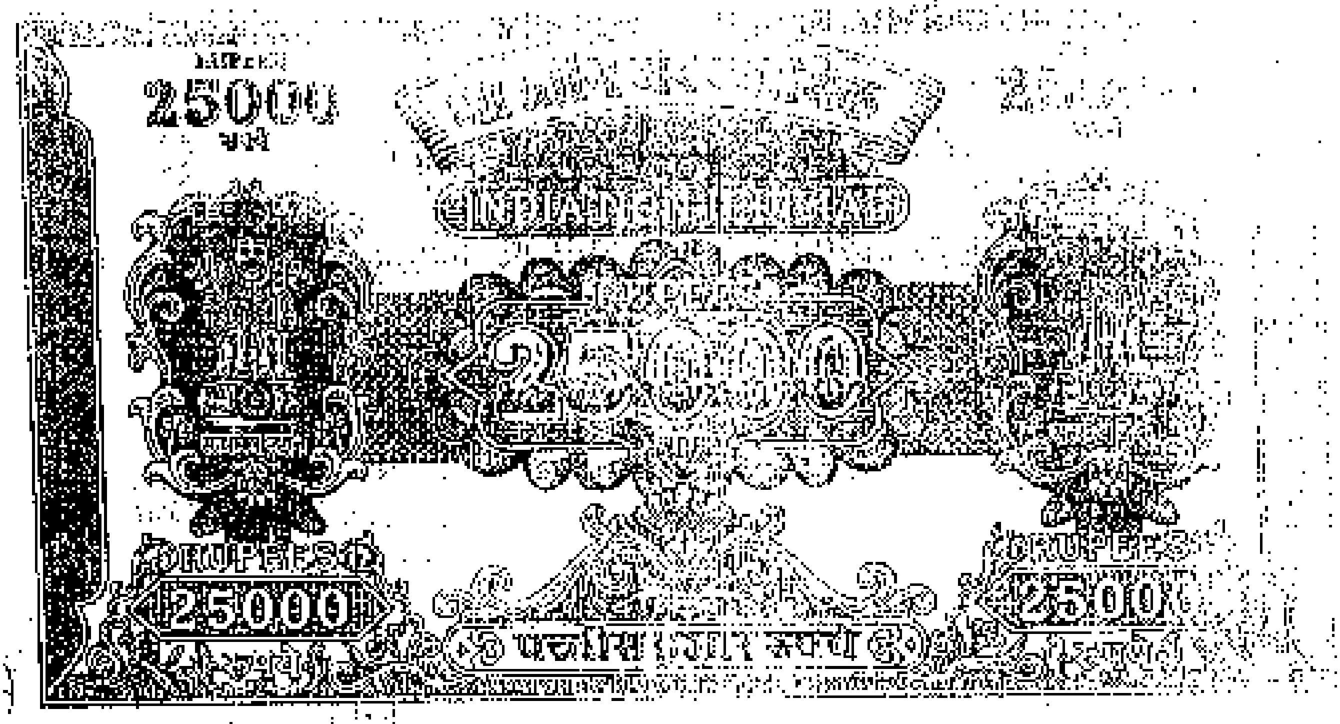




नम्बरान तीन कुल रकबई 0,64000 हेक्टेयर विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम डूंडा हेडा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद का मालिक काबिज व

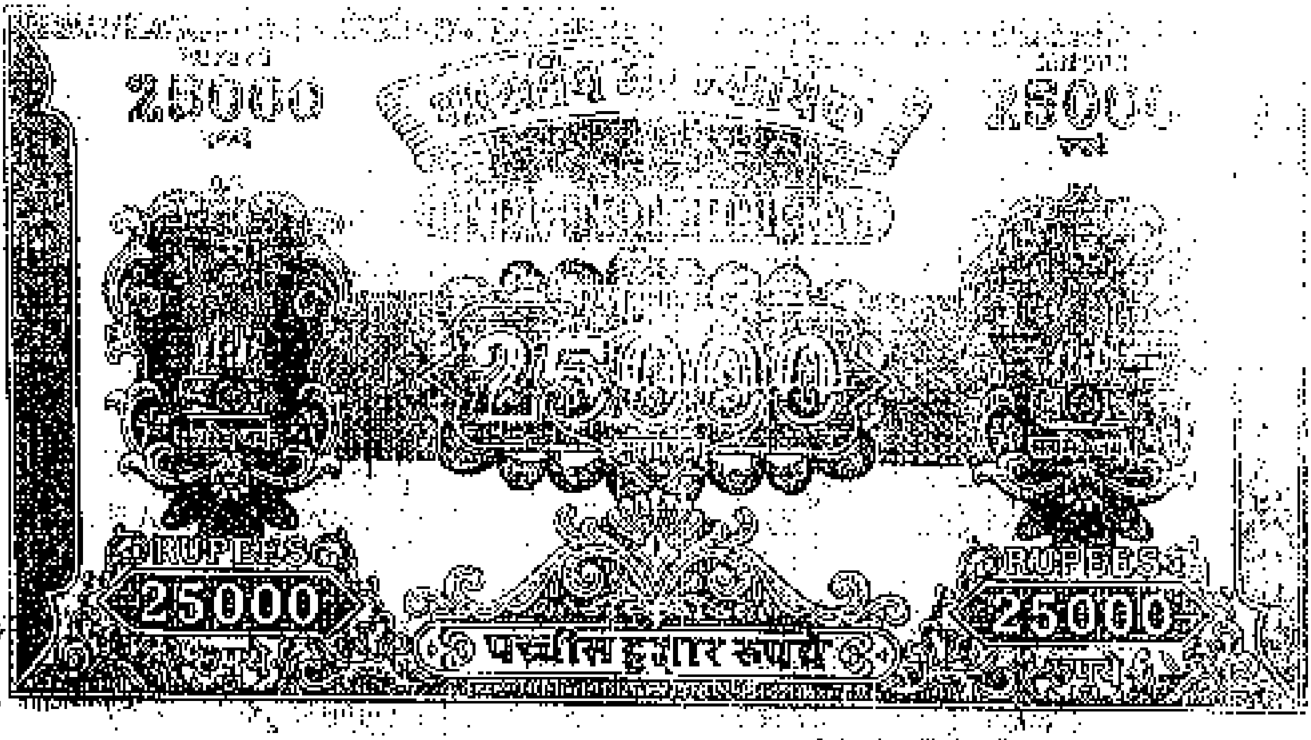


1 4 JUN 2005

04BD 421[illegible]

22

व स्वस्थ इन्द्रियों के साथ बिना किसी डर दबाव व बहकावे के प्रभावित हुऐ मय

तमाम हक हकूक मालिकाना दाखिली खारिजी हर किस्म मय कब्जा आदि आदि

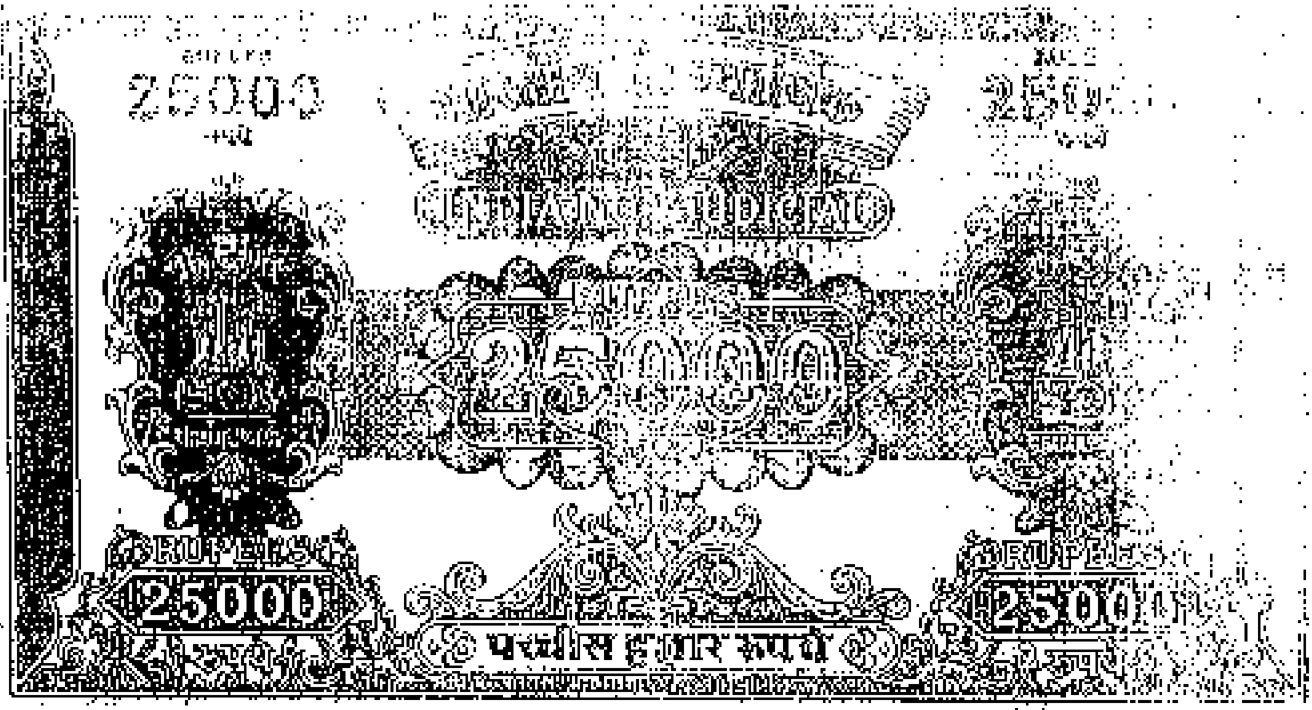




वाद विवाद से मुक्त है। अतः मुझ विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी [illegible]

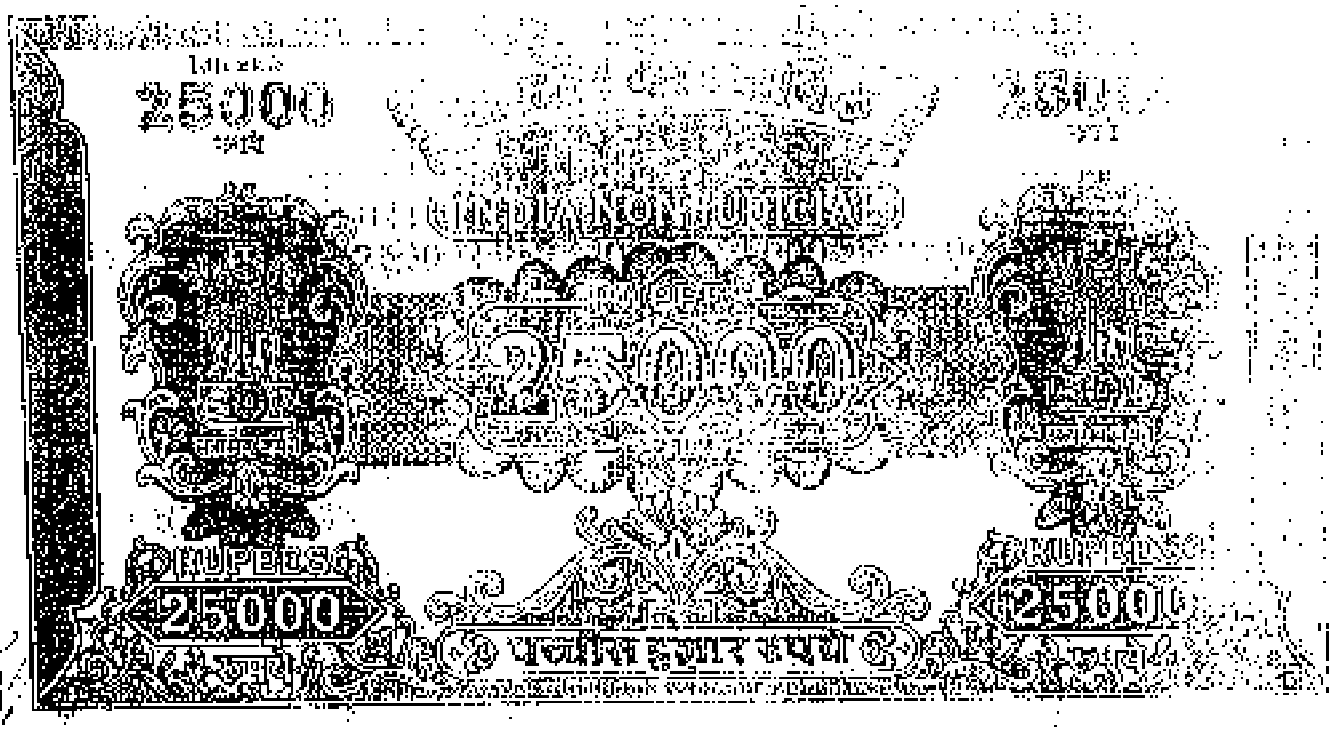




अन्य जगह आड़, रहन, बय, हिबै, महायदाबय आदि आदि में ग्रस्त नहीं है।

मिलकियत विक्रेता में किसी प्रकार का कोई दोष व त्रुटि नहीं है। हर प्रकार के

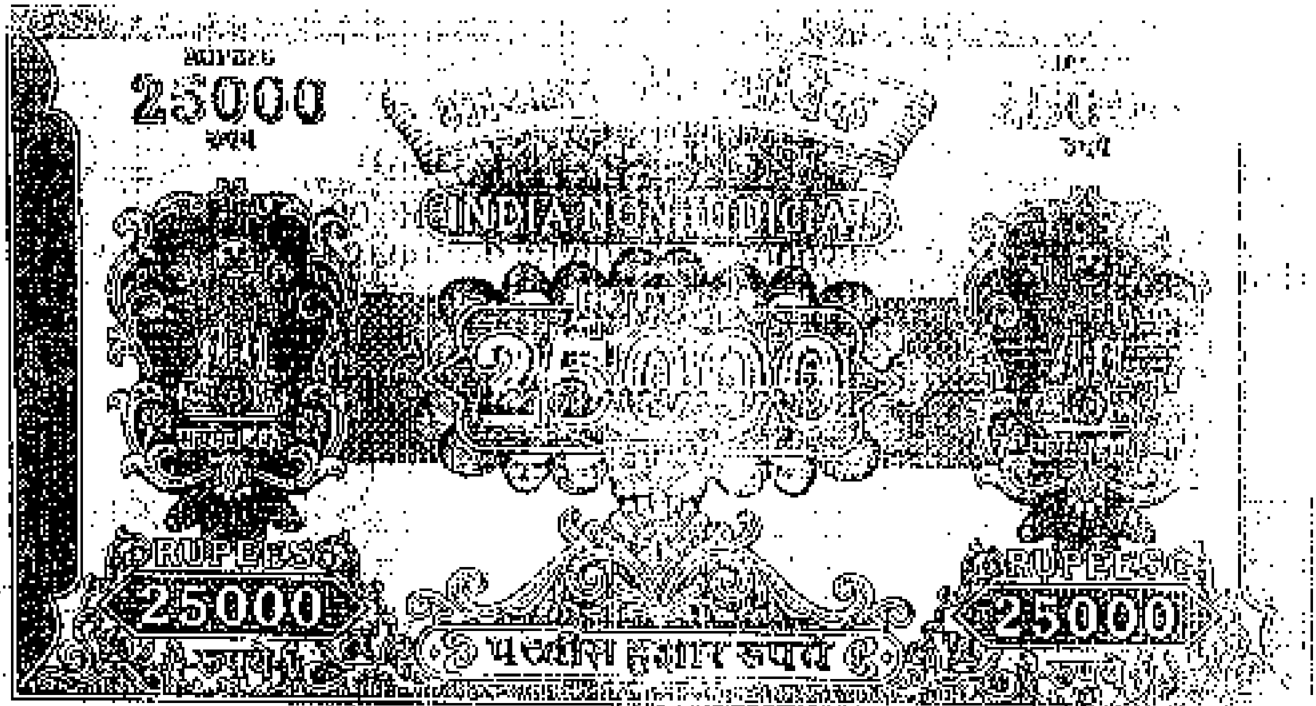


14 JUN 2005



साक्रमणीय भूमिधर भू–स्वामी है जो आज दिन तक मुझ विक्रेता की ओर से हर प्रकार के बंधक भार सरकारी देनदारी व अन्य लोन आदि आदि से मुक्त है, कहीं

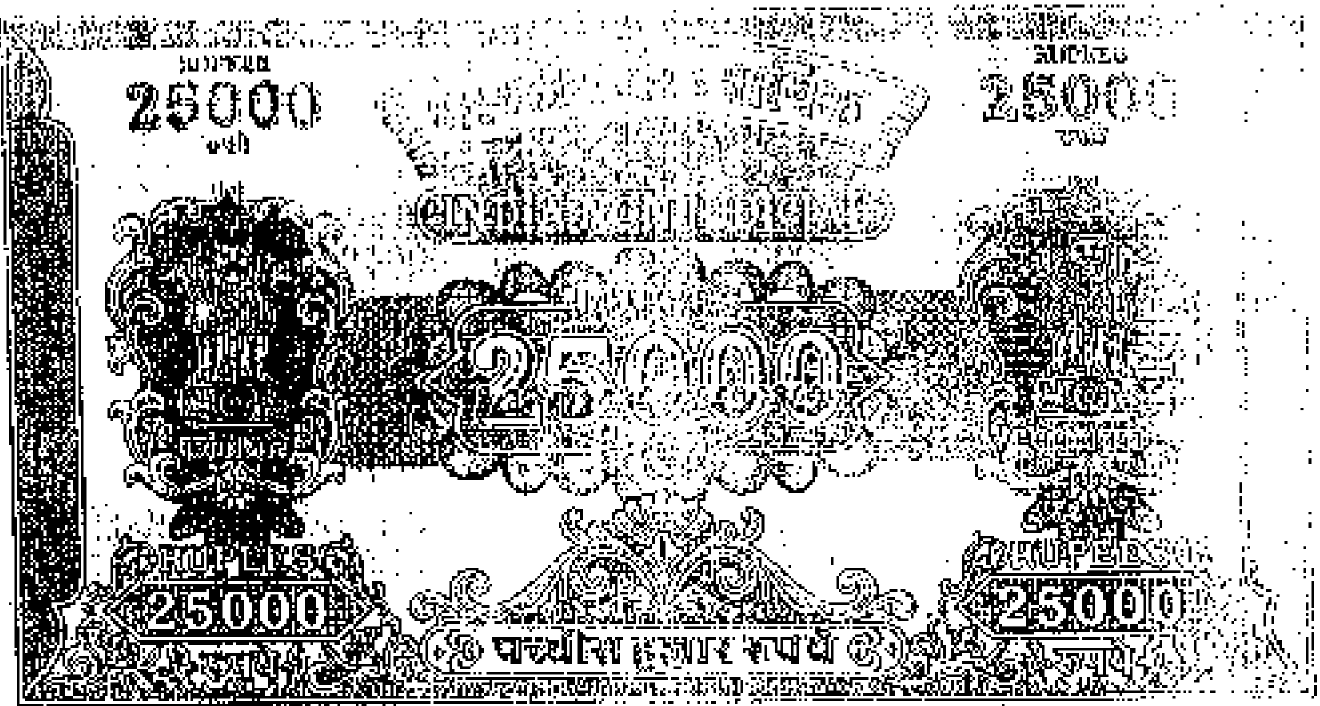


14 JUN 2005

04DD 49[illegible]

23

को मय हक काश्त व स्वंय प्राप्त सभी अधिकारों सहित आज की तारीख में बदले

अकन 91,85,494/– रुपये (इक्यानवे लाख पिचासी हजार चार सौ चौरानवे

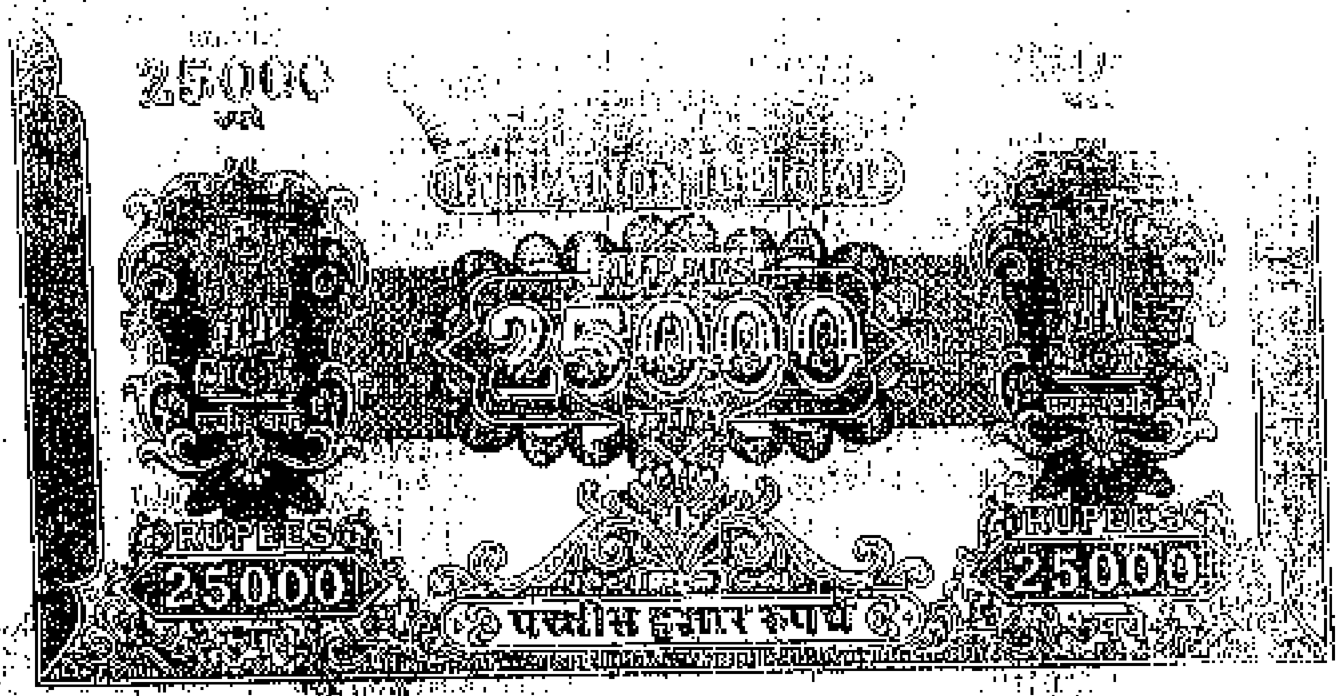


14 JUN 2005

04DD

24

रुपये ) आधे जिसके अंकों 45,92,742 रुपये होते है मैं बाहक द्वितीय पक्ष

क्रेता कम्पनी उपरोक्त को विक्रय कर दिया है और बेच दिया है, तथा कुल

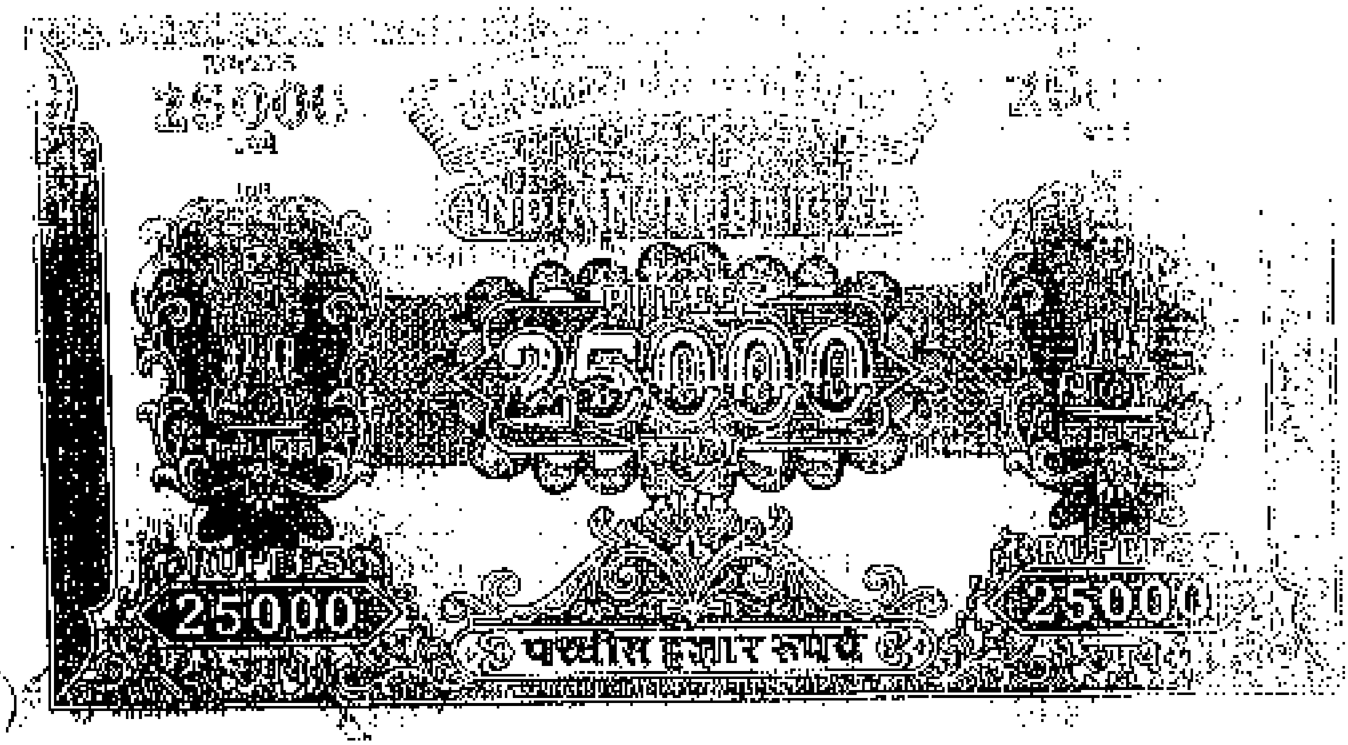




धनराशि निम्न प्रकार से वसूल पा ली है। कुछ बाकी नहीं रहा है। विक्रय भूमि

कृषि है, कब्जा मौके पर क्रेता कम्पनी का वास्तविक रूप से करा दिया है।

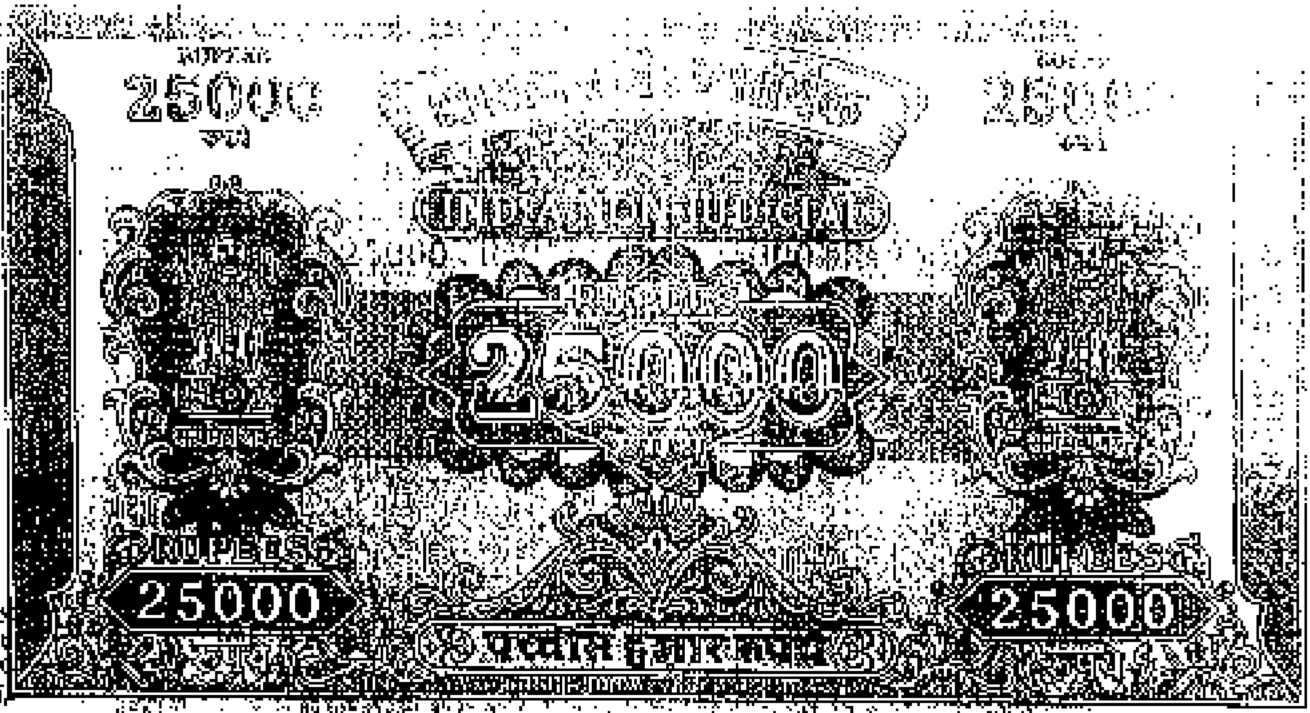


14 JUN 2005

04DD 421173



जिसकी अब क्रेता कम्पनी पूर्णतः मालिक बन गयी है। क्रेता कम्पनी को सर्वथा अधिकार है, कि वह उक्त कृषि भूमि को जिस प्रकार चाहे बहैसियत मालकाना

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

पच्चीस हजार रुपये

14 JUN 2005

04DD [illegible]



प्रयोग में लावे। कृषि भूमि को विक्रय आदि करें, विक्रय का अनुबन्ध करें, इस बैनामा के आधार पर अपना नाम सरकारी गैर सरकारी व अन्य आवश्यक कागजातों व विभागों आदि से दर्ज करावें, काश्त करें व अन्य कोई कार्यवाही

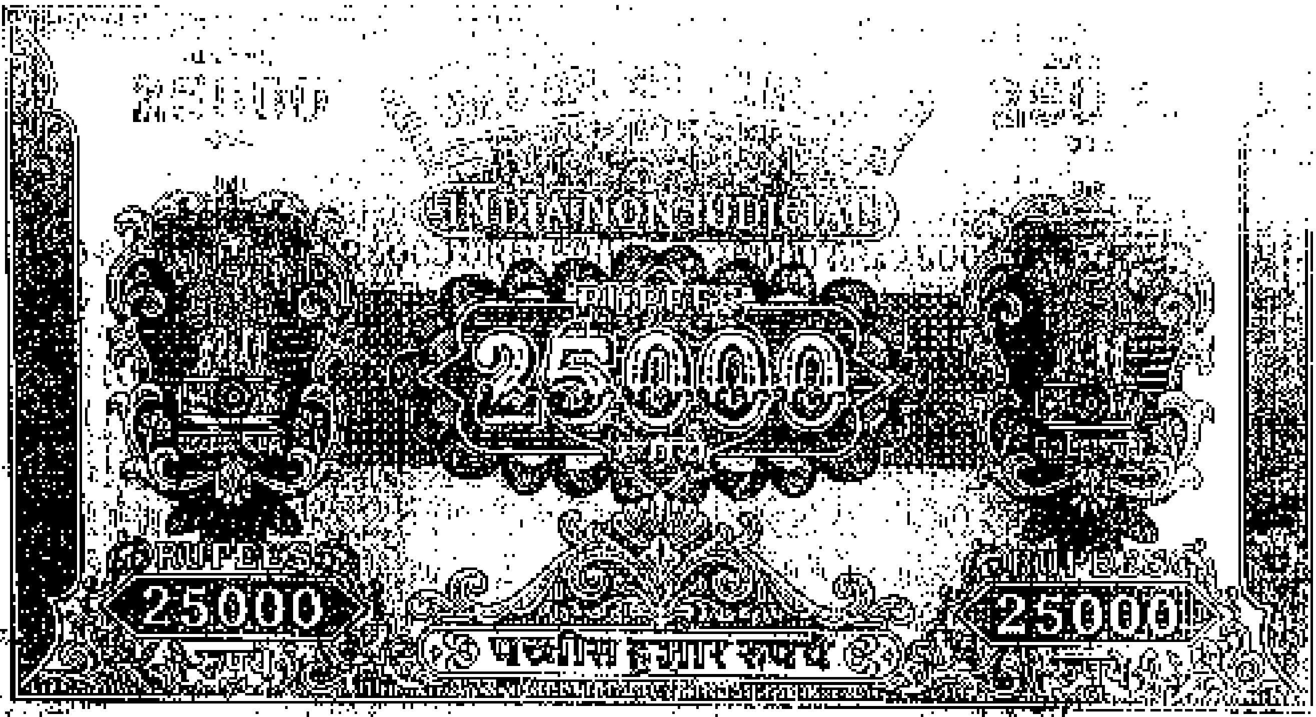


14 JUN 2005



करें, अर्थात जिस प्रकार चाहे अपने मालिकाना हकूक में लाकर लाभ उठावें। मुझ विक्रेता या हमारे वारिसान का विक्रय भूमि से कोई मालिकाना वास्ता या

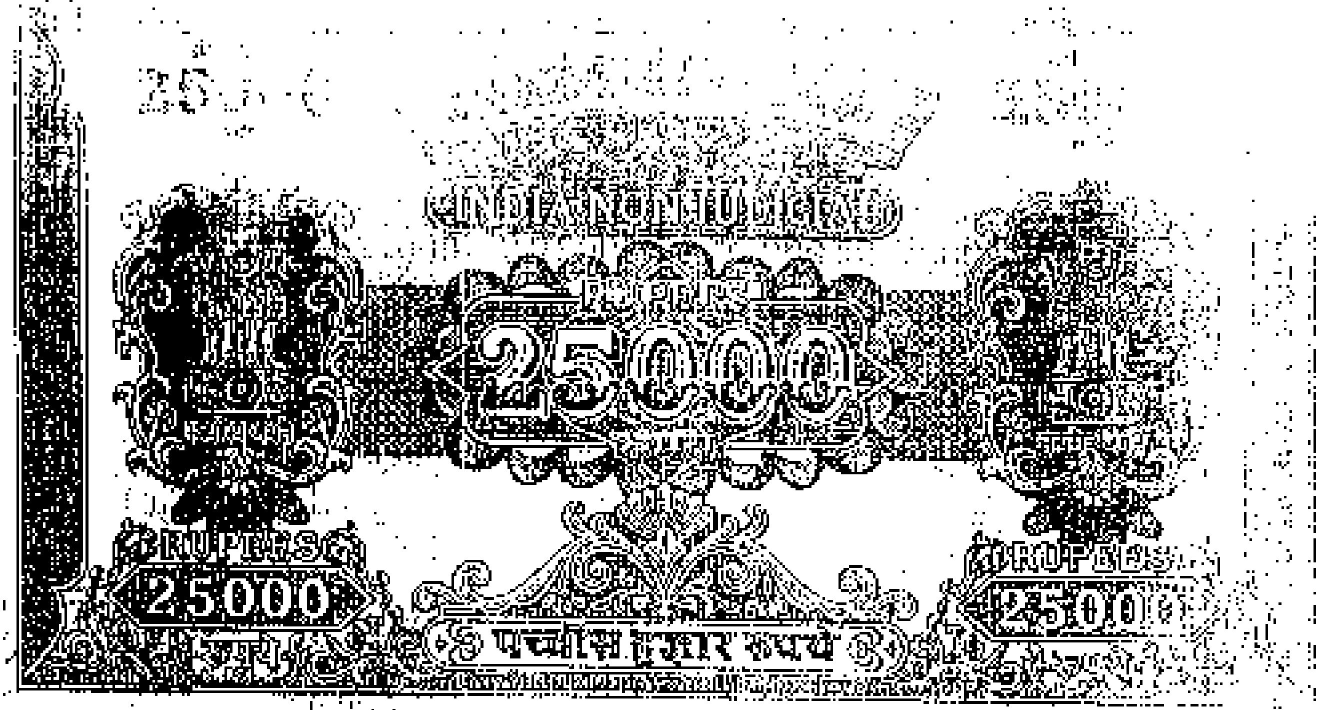


14 JUN 2005

J400



सम्बंध बाकी नहीं रहा है। गर्ज है कि यदि मुझ विक्रेता के अनधिकार से या

14 JUN 2005



को अधिकार होगा कि वह कब्जे से निकल जाने वाली कृषि भूमि की समस्त

14 JUN 2005

0400 [illegible]



किसी कानूनी नुक्स या मालूम के कारण उक्त कृषि भूमि का कुल या [illegible]

क्रेता उपरोक्त कम्पनी के कब्जा व दखल मालिकाना से निकल जायेगा तो क्रेता

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

पच्चीस हजार रुपये

32

धनराशि मय ब्याज व हर्जे खर्चे आदि के सहित विक्रेता व विक्रेता के वारिसान की चल अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करले। कोई आपत्ति नहीं

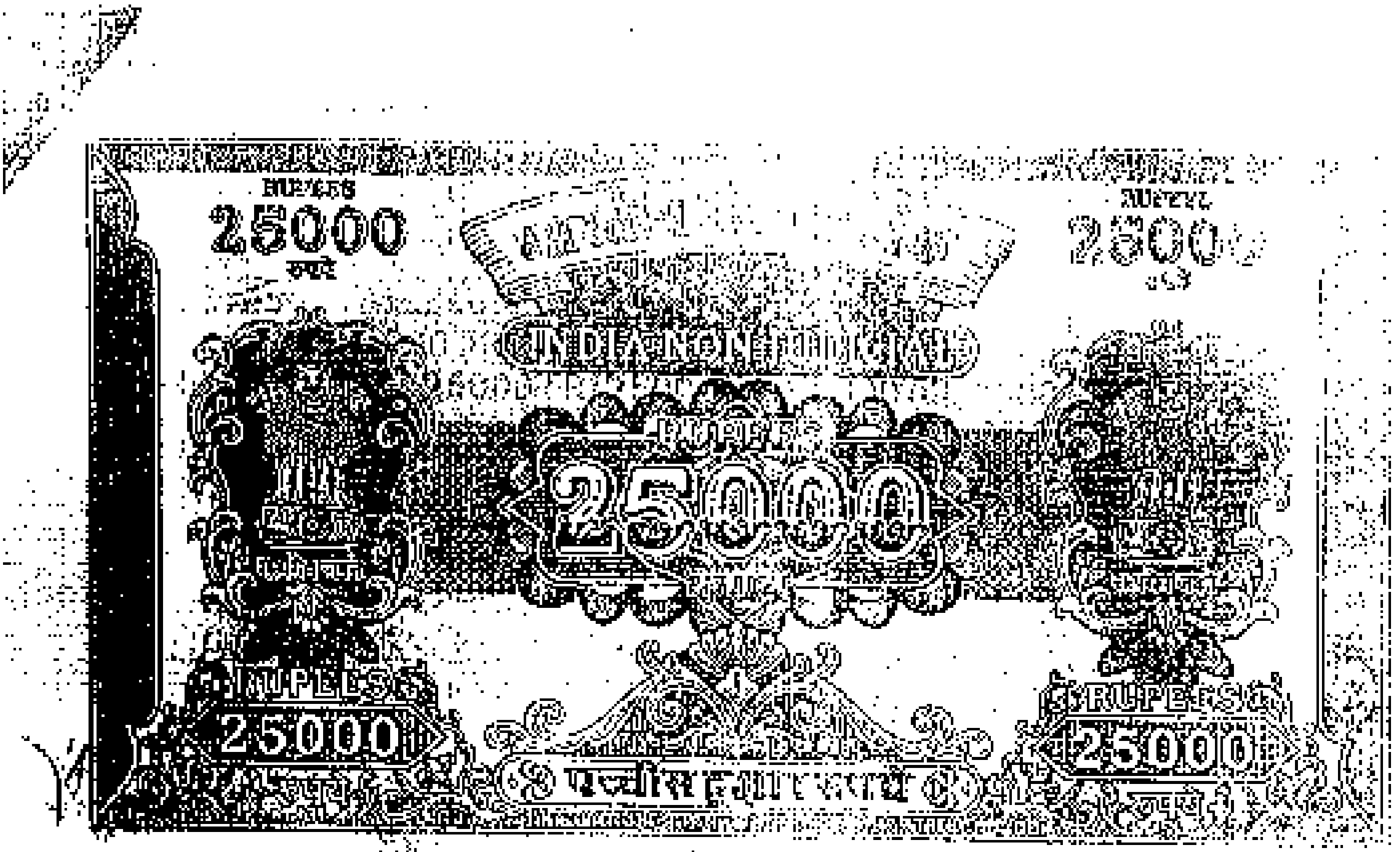


14 JUN 2005

04DC [illegible]



होगी। भू राजस्व प्राधिकारी अथवा अन्य द्वारा इस विक्रय पत्र की समाधित भूमि

14 JUN 2005

0400 421

34

को रजिस्ट्रेशन के दिनांक तक की कर आदि की किसी भी देयदारी का दायित्व

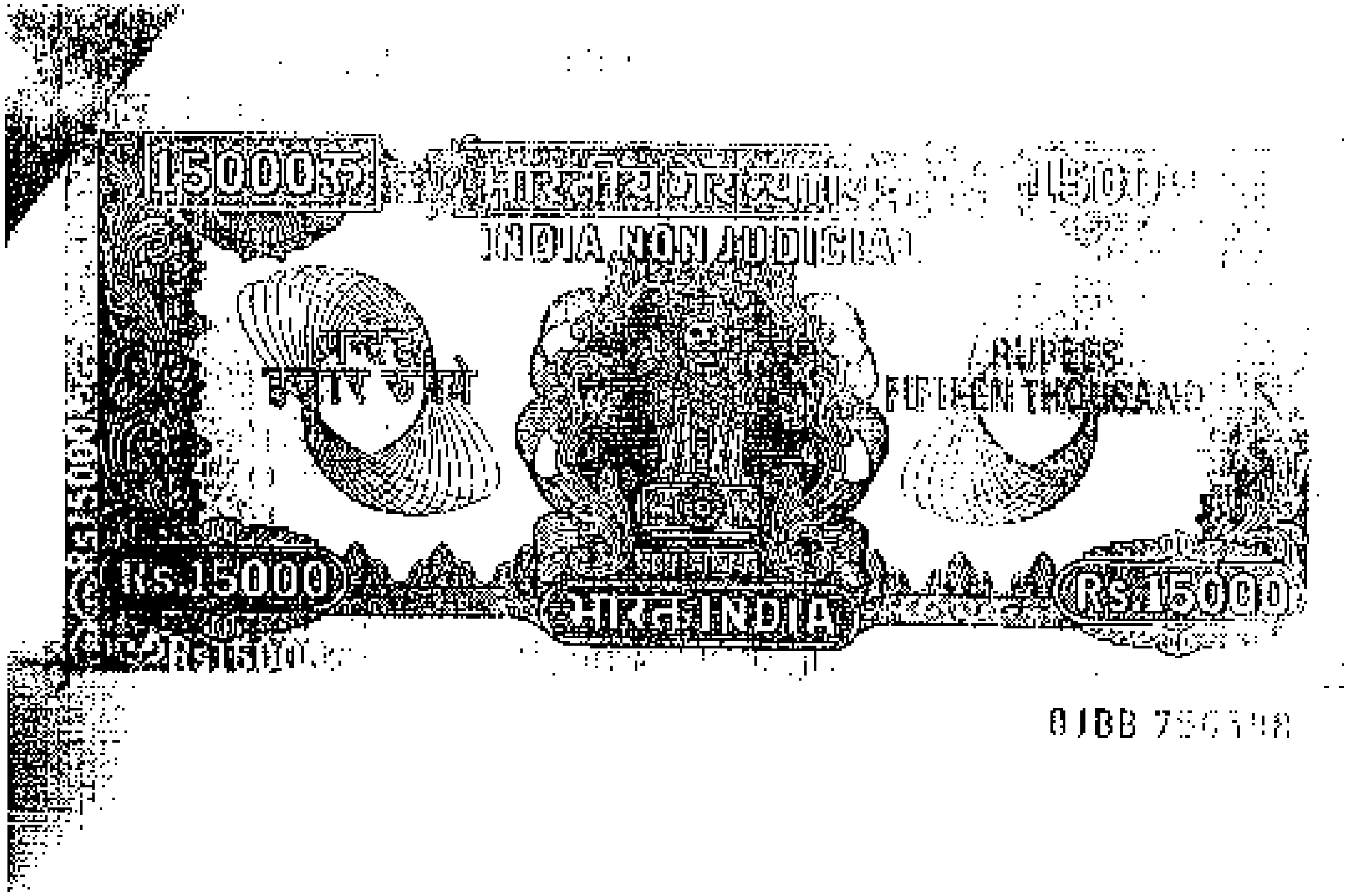




अनुसूचित जन जाति से नहीं है।

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें। इति।

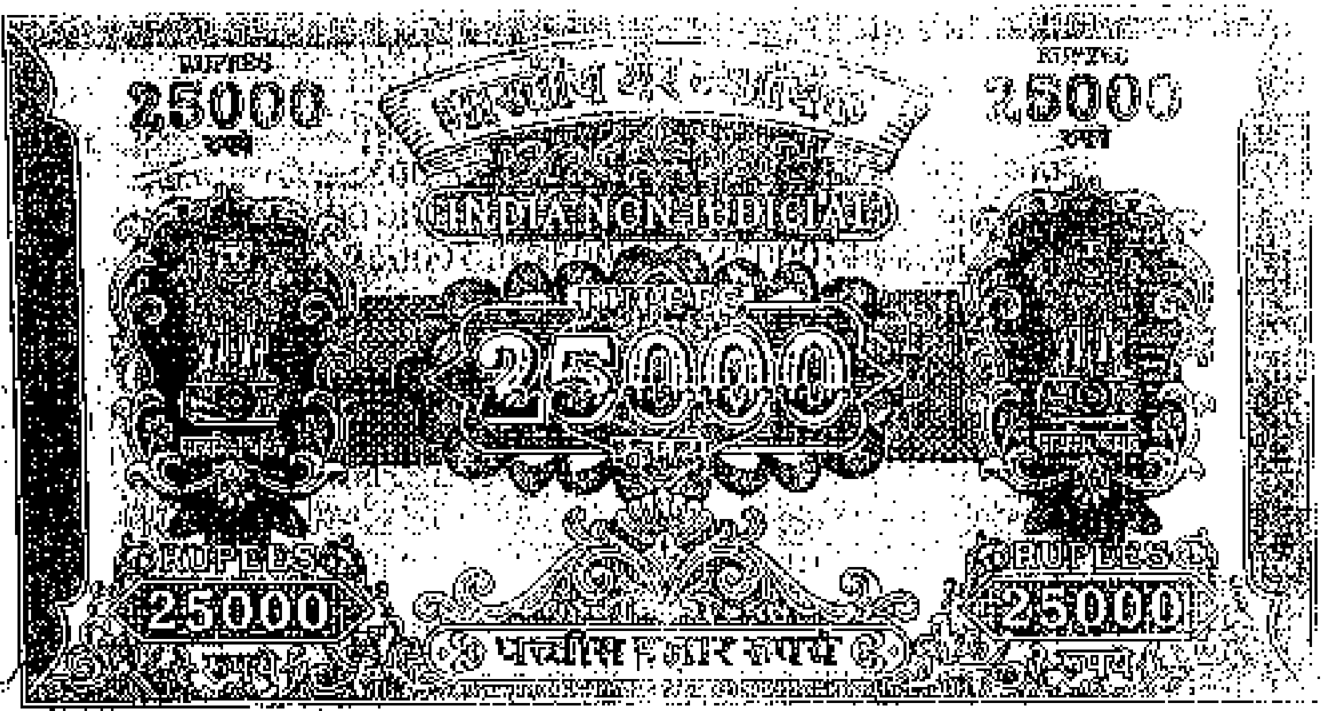




मुझ विक्रेता ने उक्त नम्बरान में अपना सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय किया है। उक्त भूमि ग्राम समाज व पट्टे भूदान अथवा वक्फ की नहीं है। विक्रेता अनुसूचित जाति का

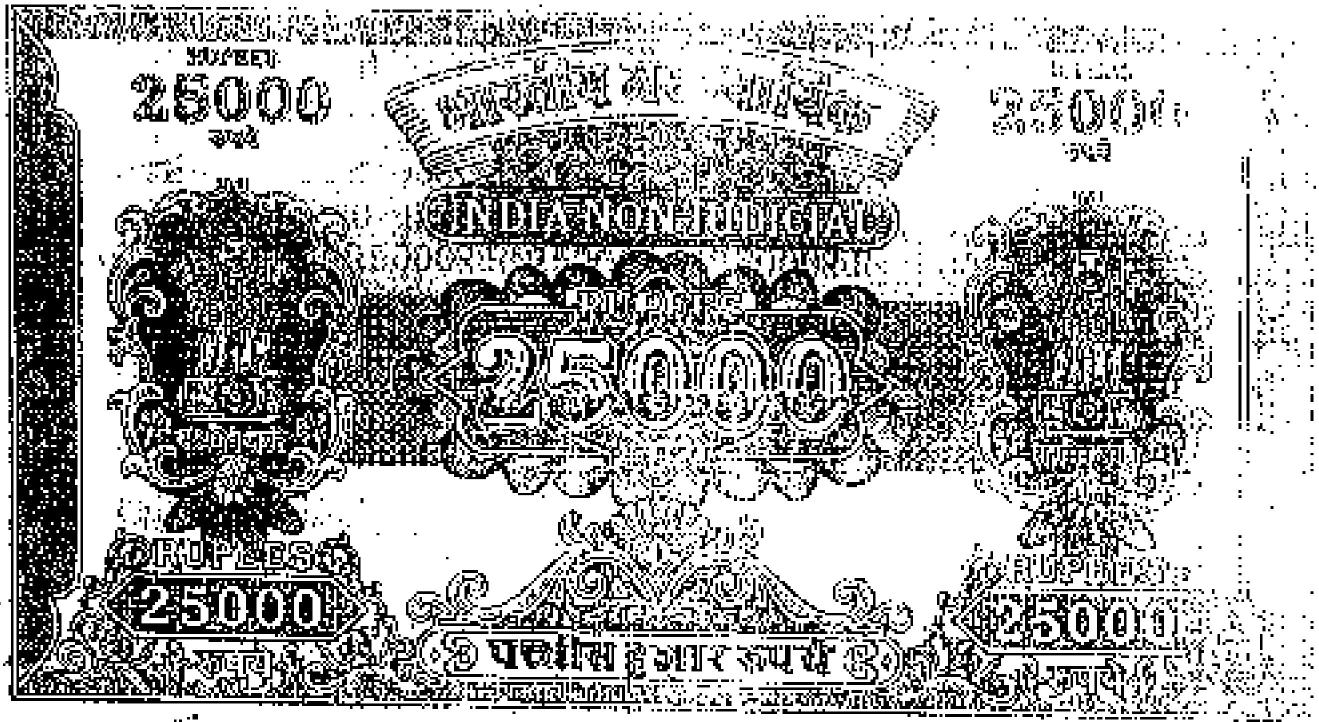




भूमि विक्रेता का होगा। और बाद इसके तदर्थ क्रेता कम्पनी उत्तरदायी होगी।

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु.

Rs 1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

19 JUN 2005

501114



यह बैनामा विक्रेता के पिछले कागजात अनुसार व विक्रेता व क्रेता की बताये अनुसार लिखा गया है।

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.    Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये    ONE THOUSAND RUPEES

13 JUN 2005

501113

39

विवरण वसूलयाबी कुल धनराशि का : [illegible]

INDIA NON JUDICIAL

१,000रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

53567?

7 OCT 2005



[illegible]) व अंकन 91,85,484/-- रूपये बजरिये कैश आर्डर नं0 ००२६०५ दिनांक 7.10.05 पंजाब नैशनल बैंक कनार्टप्लेस नई

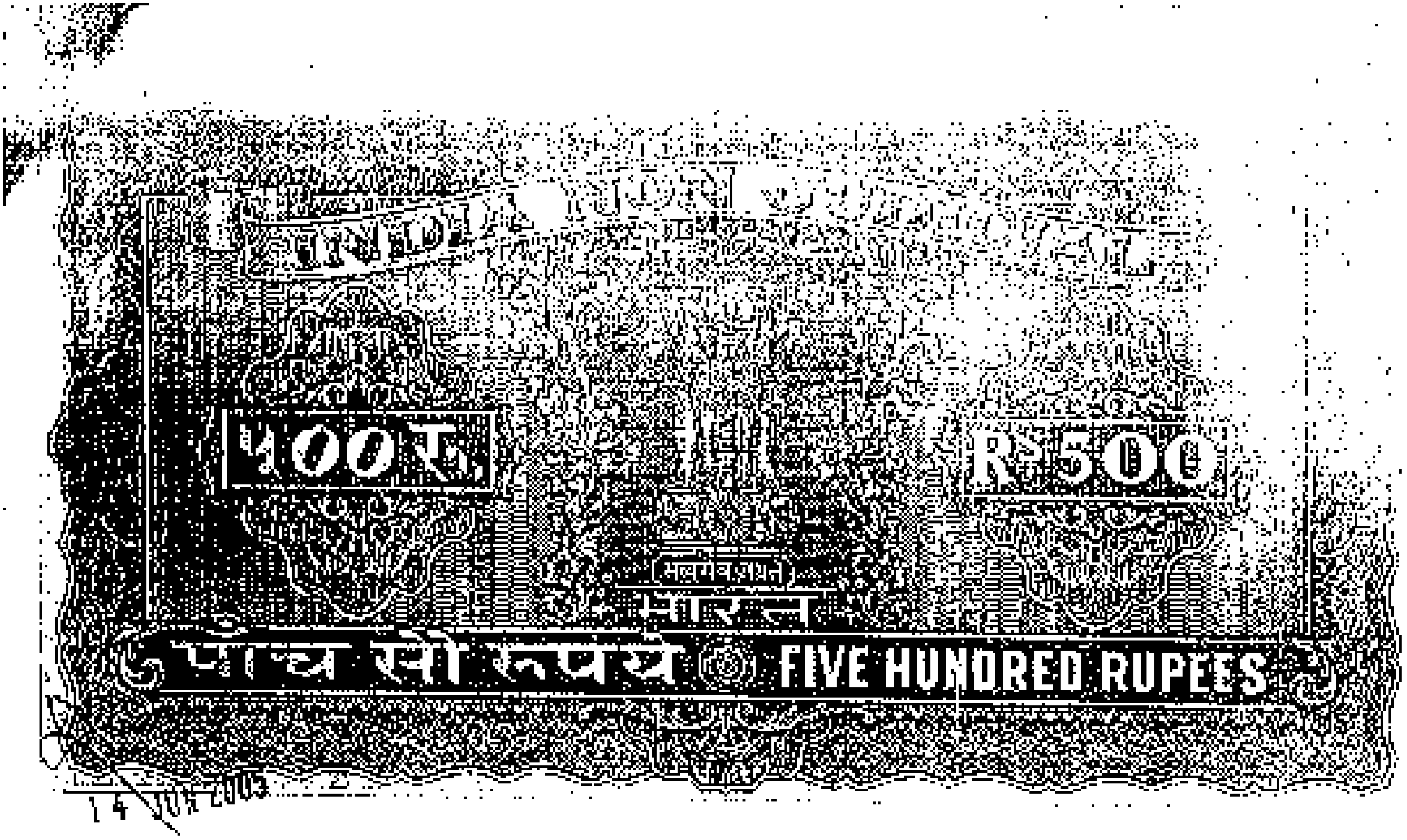


41

दिल्ली को प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार विक्रेता ने क्रेता से कुल धनराशि प्राप्त

1997 KH. NO. 1037/4 AREA 0.0120

1854 KH. NO. 1038/2 AREA 0.1875

1857 KH. NO. 1037/1 AREA 0.0420

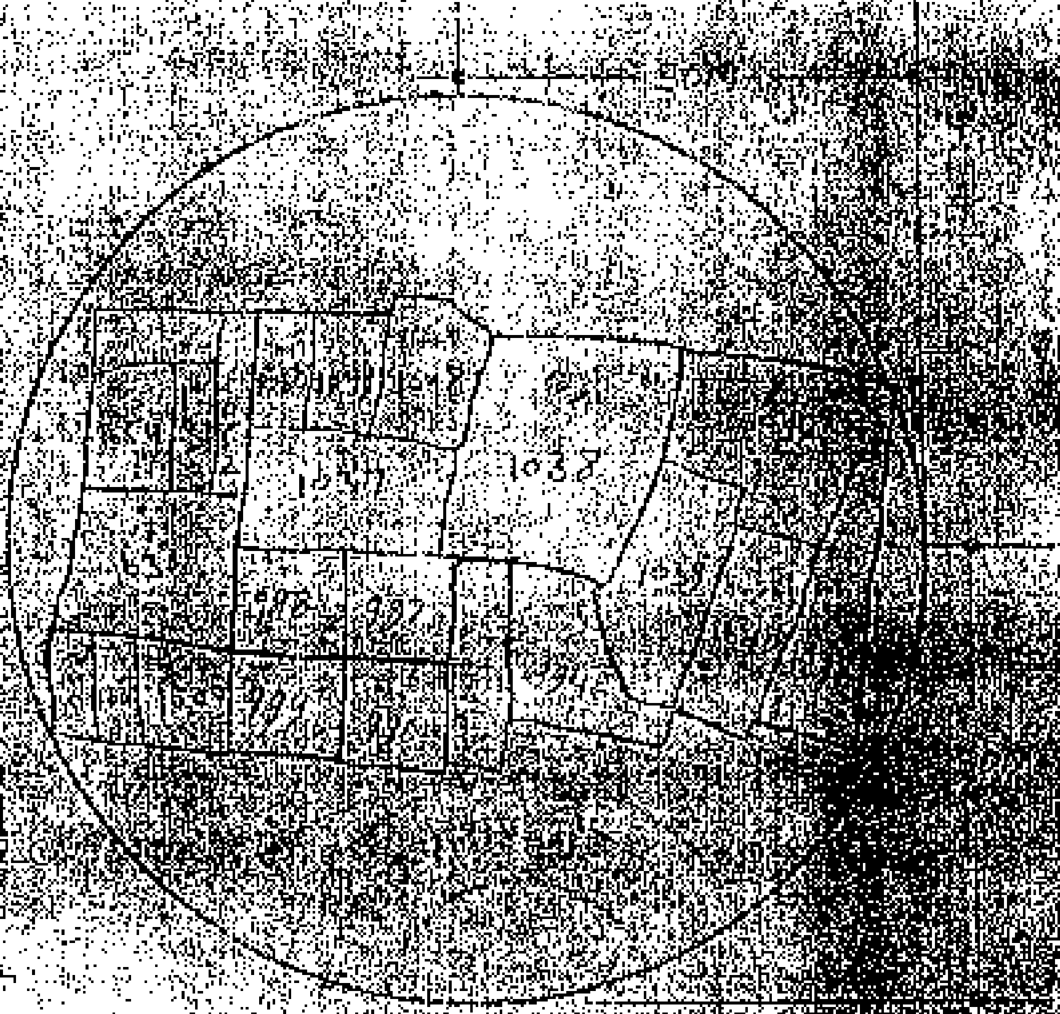


SCALE

KHASRA

M/S TYAGI'S ASSOCIATES

१०० रु. Rs 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

42

कर ली है। कुछ भी बाकी नहीं रहा है।

गवाह अनिरुद्ध राम पुत्र श्री टेंपई राम

निवासी -- सुभाष नगर चूकना मोड़ गाजियाबाद।

AMBOJ KUMAR NAGA

गवाह : रूपेश त्यागी पुत्र श्री धर्मवीर त्यागी

निवासी – ग्राम डूंडाहैडा तहसील व जिला गाजियाबाद।

दिनांक 07.10.2005ई0 मसौदा अम्बोज कुमार नागर एडवोकेट GHAZIABAD

AMBOJ KUMAR NAGAR
ADVOCATE
GHAZIABAD